

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 19 जनवरी 2001

की
कार्य-सूची



19 जनवरी, 2001

का एजेन्डा
+
कार्यवृत्त

[Handwritten signature]

लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 19 जनवरी, 2001 में विचारार्थ प्रस्तावों की
विषय-सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.5.2000 एवं दिनांक 16.8.2000 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	1
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.5.2000 एवं दिनांक 16.8.2000 में लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या।	10
3.	विगत त्रैमास में प्राधिकरण द्वारा किये गये कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।	28
4.	आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 1999 के सम्बन्ध में शमन से प्राप्त आवश्यक परिष्कार के अंगीकरण के सम्बन्ध में।	29
5.	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के फलस्वरूप बढ़ने वाली प्रतिकर की धनराशि योजनाओं के पुराने आवंटियों से वसूलने तथा भविष्य में भूमि के मूल्य का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में।	49
6.	व्यवसायिक/सिनेमा हाल/कम्युनिटी सेन्टर/बरात घर/गेस्ट हाउस हेतु भूमि/भूखण्ड के आवंटन की नियम एवं शर्तें	57
7.	गोमती नगर योजना के विपन खण्ड में लखनऊ हास्पिटल प्रा० लि० एवं स्कार्ट हास्पिटल द्वारा आवंटित 2.5 एकड़ एवं 4 एकड़ भूमि भू-प्रयोजन परिवर्तन के सम्बन्ध में।	71
8.	मनोरंजन भू-प्रयोग के अन्तर्गत विभिन्न खेल एकाडमीज को भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में भू-अच्छादन एवं एफ.ए.आर. का निर्धारण।	75
9.	दिनांक 1.1.96 से पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों को शासनादेश सं० सा-172/दस-308/97 दिनांक 23 दिसम्बर 1997 के अनुसार पुनरीक्षित दर पर पेन्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।	79

10. भूखण्ड संख्या: 29 पार्क रोड पर स्थित प्रादेशिक को-आपरेटिव डेरी फेडरेशन लि० द्वारा आवासीय क्षेत्र में प्रस्तुत कार्यालय सम्बन्धी भू-उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। 83
11. विभागीय कार्यहित में 03 एम्बेस्डर कार रिप्लेसमेन्ट के रूप में क्रय करने पर विचार 84
12. गोमती नगर विपिन खण्ड में पर्यटन विभाग को पर्यटन भवन हेतु आवंटित भूमि के आंशिक भाग के भू-प्रयोग "पार्क एवं क्रीडा स्थल" से "वाणिज्यिक विपणन केन्द्र" तथा सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट को आवंटित भूमि के भू-प्रयोग "पार्क एवं क्रीडा स्थल" व "वाणिज्यिक खण्डीय विपणन केन्द्र" से आवासीय में परिवर्तन के सम्बन्ध में। 85
13. गोमती नगर योजना विजयन्त खण्ड में विंग कमाण्डर एच०के०सिंह के भवन के समायोजन के सम्बन्ध में। 64
14. गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में स्थित भूखण्ड संख्या: 4/3 पर आरोपित शमन शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में। 87
15. नजूल भूमि खसरा सं० 1,2,4,5,6,17,51,52 समस्त भाग स्थित मोहल्ला कर्वला आगामीर नरही (हिल्टन लेन आर.एफ.बहादुर जी मार्ग) पर प्रस्तुत महायोजना 2001 में निर्धारित कार्यालय भू-उपयोग में समूह आवास मानचित्र के प्रकरण की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में। 88
16. मे० बनेट कोल मैन एण्ड कं०लि० द्वारा गाटा संख्या: 407 क्षेत्र 7 बीघा 7 विस्वा उत्तरफौना परगना, तहसील जिला लखनऊ का प्रस्तुत भवन मानचित्र से सम्बन्धित भूमि के भू-प्रयोग परिवर्तन पर विचार। 89
17. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

विषय संख्या : 1

पृष्ठ संख्या : 1

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक २७ मई, २००० एवं १६ अगस्त, २०००
के कार्यवृत्तों का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
२७ मई, २००० एवं १६ अगस्त, २०००
के कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 27 मई 2000
का कार्यवृत्त

उपस्थित

1-	श्री सौरभ चन्द्र	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
2-	श्री दिवाकर त्रिपाठी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
3-	श्री आर. के. मित्तल	आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
4-	श्री संजय अग्रवाल	जिलाधिकारी, लखनऊ ।
5-	श्री संजय भूसरेड्डी	विशेष सचिव-आवास, उ.प्र. शासन
6-	श्री मुरलीधर	अपर निदेशक, उद्योग ।
7-	श्री एम.पी अनेजा	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ.प्र.
8-	श्री आर.सी.अस्थाना	मुख्य अभियन्ता, जल निगम (म.क्षे.)
9-	श्री बृजलाल रावत	सदस्य/सभासद, नगर निगम ।
10-	श्रीमती उमाशंकरि लोधी	सदस्य/सभासद, नगर निगम ।
11-	श्री राम अधार सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
12-	श्री जयपाल सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
13-	डा० सियाराम	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

अन्य उपस्थित

14-	कु० रेखा गुप्ता	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
15-	श्री भूपेन्द्र सिंह,	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
16-	श्री मन मोहन	मुख्य लेखाधिकारी, ल० वि० प्रा० ।
17-	श्री जे० पी० श्रीवास्तव	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18-	श्री आनन्द कुमार सिंह	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
19-	श्री एस.बी. भारती	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
20-	श्री एस० बी० भटनागर	लागत एवं वित्तीय सलाहकार कम इक्जीक्यूटिव सिस्टम, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
21-	श्री आर. पी. शुक्ला	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
22-	श्री रवि श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता-विद्युत यांत्रिक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

विषय संख्या: 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 22 जनवरी 2000 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 22 जनवरी 2000 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

विषय संख्या: 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 22 जनवरी 2000 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय:

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये:—

(1)– लखनऊ महानगर में हो रहे अनाधिकृत निर्माणों को तत्काल रोका जाये और भविष्य में अनाधिकृत निर्माण न हों इस हेतु समय-समय पर निरीक्षण किया जाये तथा एक सप्ताह के अन्दर रॉस्टर बनाकर प्रस्तुत किया जाये तथा डिमालेशन आदेशों के प्रकरणों की सूची तैयार की जाये। विशेषकर प्रेस क्लब तथा जिमखाना क्लब, वी.आई.पी. क्षेत्रों में बहुदेशीय अनाधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना दर्ज कराकर उसकी सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाये। अब तक दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्टों की सूची प्राधिकरण के समस्त मा० सदस्यों को भेजी जाये। मुख्य नगर नियोजक से महत्वपूर्ण श्रमन (नैतिक) पारित आदेशों का परीक्षण कराया जाये।

(2)– जिन 100 पार्कों का विकास कार्य पूर्ण किया गया है उनमें प्रत्येक में एक अवर अभियन्ता एवं एक माली तैनात करके उसकी सूची नाम सहित पार्क में प्रदर्शित की जाये तथा एक प्रति समस्त मा० सदस्यों को भेज दी जाये। पदस्थ अवर अभियन्ता पार्क के आस पास के निवासियों से सम्पर्क स्थापित कर पार्क के सौन्दर्यीकरण की व्यवस्था रखेगे ।

(3)– अनुपालन के विषय संख्या: 23 व 24 के निर्णयानुसार गठित समिति की संस्तुति के अनुसार डेढ़ एकड़ भूमि दिये जाने के निर्देश दिये गये ।

(4)– अनुपालन के विषय संख्या: 31 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। जब तक कैसरबाग मण्डी का निर्माण प्रारम्भ नहीं हो जाता तब तक उस स्थान पर पार्किंग बना दी जाये ।

(5)– अन्य विन्दु संख्या: 5 के सम्बन्ध में अपर सचिव को निर्देश दिये गये कि अवध अपार्टमेंट में अब तक कुल व्यय कितना हुआ तथा कितनी धनराशि प्राप्त हुई, का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाये ।

विषय संख्या: 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या ।

निर्णय:

विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया ।

- विषय संख्या: 4 लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय-व्यय विवरण एवं बैलेन्स शीट वर्ष 1997-98 का अनुमोदन ।
- निर्णय: प्रस्तुत आय-व्यय विवरण एवं बैलेन्स शीट वर्ष 1997-98 का अनुमोदन किया गया ।
- विषय संख्या: 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय व्ययक वर्ष 2000-2001 के सम्बन्ध में ।
- निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक वर्ष 2000-2001 का अवलोकन किया गया एवं निम्न निर्देश के साथ पारित किया गया:-
- (1)- राजस्व आय ÷ पूंजीगत आय का 10% ÷ अन्य आय राजस्व व्यय से अधिक होने के सिद्धान्त का अनुपालन होना चाहिये ।
- (2)- राजस्व आय पक्ष के वर्ष 2000-2001 के अनुमानों में निम्न संशोधन किये गये : -

मद संख्या तथा नाम	प्रस्तावित	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित
1.1 समस्त योजनाओं का लीज किराया/प्रीहोल्ड शुल्क	200.00लाख	250.00लाख
5.5 विकास शुल्क/सुदृढीकरण	200.00 लाख	250.00लाख
5.6 मलवा चार्ज	20.00 लाख	40.00लाख
5.7 सुपरवीजन चार्ज	25.00 लाख	40.00लाख
7 ठेकेदार पंजीकरण शुल्क	5.00 लाख	20.00लाख
9- हस्तांतरण शुल्क	10.00 लाख	15.00लाख

- (3)- पूंजीगत आय पक्ष में वर्ष 2000-2001 के अनुमानों में निम्न संशोधन किये गये :-

9- व्यवसायिक भूखण्डों की विक्री	3000.00 लाख	4000.00लाख
11- व्यवसायिक भवनों/दुकानों की विक्री	400.00 लाख	500.00लाख

- (4)- व्यय पक्ष में राजस्व व्यय पर निम्न संशोधन प्रस्तावित किये गए:-

(क)- अधिष्ठान के वेतन भत्ते के मद में वर्ष 2000-2001 के आय व्ययक अनुमानों का आधार स्पष्ट नहीं है। उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 इसको पुनरीक्षित कराये ।

(ख)- कानूनी व्यय पर अंकुश लगाया जाये। कम्प्यूटरीकरण पर व्यय का परीक्षण विशेष सचिव-आवास श्री संजय भूसरेड्डी द्वारा किया जायेगा ।

(ग)- उच्च तथा मध्यम आय वर्ग के भवन के निर्माण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाये ।

(घ)- अवध अपार्टमेन्ट परिसर में रिक्त भूमि पर प्लेट्स की विभागीय पद्धति के अतिरिक्त प्रक्रियाओं से निर्माण के विकल्पों का परीक्षण करके प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

(5)- विश्वास खण्ड स्थित व्यसायिक काम्प्लेक्स का जो प्लोर बेचा गया है उसका पूरा मूल्य प्राप्त हो जाने के बाद ही कब्जा दिया जाये। इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी यही प्रक्रिया अपनायी जाये ।

(6)- मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सी.एस.आई.बिल्डिंग में "ए" टाईप के 57 प्लेटों का कब्जा 30 जून 2000 तक दे दिया जायेगा।

विषय संख्या: 6 जानकीपुरम विस्तार योजना में 45.0 मीटर चौड़ी सड़क की विवादित भूमि के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव ।

निर्णय: विचार-विमर्श के उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई । यह भी निर्देश दिये गये कि सी.टी.सी.पी. मौके का निरीक्षण कर लें तथा यदि कोई आपत्ति हो तो अगली बैठक में प्रस्तुत करें ।

विषय संख्या: 7 लखनऊ विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों/अधिकारियों के स्कूटर/मोटर साइकिल भत्ते में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचारोपरांत यह निर्देश दिये गये कि वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या: 8 श्री प्रेमशंकर गुप्ता, लेखा लिपिक के पुत्र की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।

निर्णय: प्रस्ताव पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अनुसार देय धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाये ।

विषय संख्या: 9 श्रीमती परवीन आलिया को शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड-1 में आवंटित भूखण्ड संख्या: 2/3 (540वमी.) को, गोमती नगर योजना भाग-2 के विराज खण्ड में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 10 गोमती नगर योजना के विराम खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या:सी.पी.-1 का आवंटन मेसर्स रोमित बिल्डर्स के पक्ष में बहाल किये जाने के समझौते के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय: इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निर्गोसियेशन किए जायें ।

- विषय संख्या: 11 श्रीमती बीना अग्रवाल को आवंटित भूखण्ड संख्या:4/2-बी प्रियदर्शनी योजना (सीतापुर रोड) से गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि हाई टेंशन लाईन से प्रभावित समस्त भूखण्डों को सीतापुर रोड योजना में अन्यत्र समायोजित करने की कार्यवाही की जाये। त्रुटिपूर्ण ले-आउट बनाने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाये ।
- विषय संख्या: 12 श्री मुकेश शर्मा को आवंटित भूखण्ड संख्या:4/3-बी प्रियदर्शनी योजना (सीतापुर रोड) को गोमती नगर योजना में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सीतापुर रोड योजना में ही उपलब्ध भूखण्डों में समायोजित/परिवर्तित कर दिया जाये ।
- विषय संख्या: 13 कु0 आसमा खान को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित भवन संख्या:एम-11/24 सेक्टर-सी, सीतापुर रोड योजना के विरुद्ध आरोपित ब्याज/दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचार-विमर्श के उपरांत ब्याज माफी प्रस्ताव निरस्त किया गया ।
- विषय संख्या: 14 जनपथ मार्केट स्थित दुकान संख्या:बी-51 के बगल में स्थित 84.42 वर्गमीटर भूमि ग्राम विकास विभाग को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि श्री राम प्रकाश गुप्ता एण्ड ब्रदर्स को दी जाने वाली भूमि क्षेत्रफल 26.87वमी. आरक्षित करके शेष भूमि की नीलामी की जाये। जो सर्वोच्च दरें प्राप्त हों, उसी दर पर श्री गुप्ता को भूमि आवंटित किये जाने का आफर दिया जाये ।
- विषय संख्या: 15 श्री भगवान दास गुप्ता को शारदा नगर योजना में आवंटित भवन सं0एच.आई.जी.1/73 रुचि खण्ड के बदले गोमती नगर योजना में भवन संख्या: एच.आई.जी. 4/310 विनीत खण्ड में भवन आवंटन।
निर्णय: विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि वर्तमान मूल्य पर आवंटन किया जाये।
- विषय संख्या: 16 गोमती नगर योजना भाग-2 के अन्तर्गत हरविलास कोल्ड स्टोरेज एवं मोटर सेल्स लि0 को भूमि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक:19.03.99 के क्रम में समायोजित करने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचार -विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि शासन के पत्र दिनांक:10.08.99 के परिप्रेक्ष्य में अर्थ विवेचना का परीक्षण कराया जाये। भूमि को अर्जित करने तथा निर्माण को ध्वस्थ करने पर आने वाले व्यय तथा आय और समायोजन पर आय-व्यय का तुलनात्मक अध्ययन करके इकोनामिक्स सहित आख्या शासन को भेजने हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया । एजेण्डा नोट में शासन के इस पत्र का उल्लेख नहीं था । बोर्ड के समक्ष अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने के लिये सचिव, ल0वि0प्रा0 उत्तरदायित्व निर्धारित करें ।
- विषय संख्या: 17 राम नगर जल निकासी योजना से सम्बन्धित ।
निर्णय: विचार-विमर्श के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । यह निर्देश दिये गये कि अवस्थापना निधि तथा दशम वित्त से प्राप्त धनराशि डब टेल करके कार्य कराया जाये। परियोजना के आगणन का जल निगम के मुख्य अभियन्ता से परीक्षण करा लिया जाये ।

- विषय संख्या: 18 इन्द्रा गोधी प्रतिष्ठान से संलग्न भूमि के भूउपयोग को इन्द्रा गोधी प्रतिष्ठान से अस्पताल भूउपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाये । अस्पताल हेतु भूमि निस्तारित किये जाने हेतु मूल्य दर के बारे में भी दिशा निर्देश प्राप्त कर लिये जायें ।
- विषय संख्या: 19 गानचित्र स्वीकृत करते समय तथा गानचित्रकारों/वास्तुविदों को अनुज्ञप्ति के समय ली जाने वाली अम्बार फीस, पर्यवेक्षण शुल्क, सुन्दरीकरण शुल्क, जल शुल्क तथा अनुज्ञप्ति शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।
- विषय संख्या: 20 अनाजित भूमि को योजनान्तर्गत शासन की नीति के अनुसार समायोजित करने के संबंध में।
निर्णय: विचारविमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि शासनादेश तथा आवास विकास के नोटिफिकेशन के अनुसार निगोसियेशन कराकर जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।
- विषय संख्या: 21 उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद को योजनाओं में भूखण्डों व सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण या बाधा हटाने हेतु परिषद के अधिकारियों को शक्ति का प्रतिनिधायन।
निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।
- अनु.वि.सं० 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं में भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य एवं विकास कार्यों के लिये भूमि बन्धक रखकर हुडको से ऋण लिये जाने का प्रस्ताव ।
निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।
- अनु.वि.सं. 2 गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराज खण्ड में मा० उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों के निर्माण एवं विकास हेतु निजी वास्तुविद मेसर्स स्काई लाईन को अनुबन्धित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित की गई :

1	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
2	सी.टी.सी.पी.उ.प्र.	सदस्य
3	मुख्य नगर नियोजक	सदस्यसचिव
4	श्री आर.पी.शुक्ला, मुख्य अभियंता	सदस्य
5	श्री राम अघार सिंह	सदस्य

उक्त समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

अनु0वि0सं0 3 विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक:22 जनवरी 2000 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में समिति की बैठक की अनुसंशा ।

निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।

अनु0वि0सं0 4 यू.पी.आई.एल. कैम्पस ऐशवाग, लखनऊ में विधायक आवासीय योजना हेतु डी.ए.वी. कालेज के सामने ऐशवाग रोड पर स्थित 3000 वर्गमीटर की भूमि के भूउपयोग को आवासीय से (आर3) व्यवसायिक, वाणिज्यिक, खण्डीय विपणन केन्द्र में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लेने हेतु अधिकृत करते हुए उपसमिति गठित की गयी जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:

- 1 मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक उ.प्र.
- 2 मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0
- 3 श्री जयपाल सिंह, सदस्य, ल0वि0प्रा0

उक्त समिति के निर्णय के अनुसार शासन को सूचित कर दिय जाये ।

अनु0वि0सं0 5 मो0 आरिफ, अवर वर्ग सहायक की पत्नी को किडनी कैंसर रोग की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति ।

निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अनुसार प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जाये ।

अनु0वि0सं0 6 शोतम बुद्ध मार्ग स्थित पुराने आर.टी.ओ. पर टू टियर पार्किंग का निर्माण कार्य ।

निर्णय: विचारविमर्श के उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई और निर्देश दिये गये कि पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

- अनु0वि0सं0 7 श्री डी.सी.मिश्र को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में आवंटित "अ" श्रेणी के अर्धनिर्मित भवन संख्या:ए4/59 के स्थान पर गोमती नगर योजना में भी भूखण्ड परिवर्तित/समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।
- अनु0वि0सं0 8 अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचारविमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम नीति निर्धारित कर दिशा निर्देशों के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
- अनु0वि0सं0 9 श्री आर0डी0शर्मा सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता को कानपुर रोड योजना में आवंटित दुकान के स्थान पर महानगर योजना गोल मार्केट में व्यवसायिक भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन ।
निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया तथा निर्देश दिये गये कि उपलब्ध 200वर्गफुट भूमि की नीलामी सुनिश्चित की जाये ।
- अनु0वि0सं0 10 गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भवन संख्या:बी2/195 विराट खण्ड में लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव निरस्त किय गया ।
- अनु0वि0सं0 11 श्रीमती प्रेमलता निगम को आवंटित भूखण्ड संख्या: ए1/35 सेक्टरआई, सीतापुर रोड योजना को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
- अनु0वि0सं0 12 अलीगंज योजना के सेक्टर-जी के अन्तर्गत पुराने हनुमान मन्दिर के पास पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सी.टी.सी.पी.उ.प्र. एव श्री जयपाल सिंह स्थल का निरीक्षण कर लेगे । तदोपरांत उनकी संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अनु०वि०सं० 13

भूखण्ड खसरा संख्या: 605/1 ग्राम चिनहट का समायोजन के सम्बन्ध में।


निर्णय:


विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल का सर्वो कराकर ले-आउट बना लिया जाये और समायोजन हेतु समस्त प्रकरणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाए।

वन्य विन्दु:


श्री वृजलाल रावत, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रियदर्शनी योजना में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जगह-जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि प्रियदर्शनी योजना के आस-पास बहुत अधिक अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि 31.05.2000 तक निरीक्षण कराकर उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।


॥ कु० रेखा गुप्ता ॥
सचिव


॥ दिवाकर त्रिपाठी ॥
उपाध्यक्ष

अनुमोदित,


॥ सी.ए. चन्द्र ॥

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 16 अगस्त, 2000 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

- | | | |
|-----|-------------------------|--|
| 1. | श्री सौरभ चन्द्र | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. | श्री यज्ञवीर सिंह चौहान | विशेष सचिव, प्रतिनिधि
सचिव, उ०प्र०शासन, आवास विभाग। |
| 3. | श्री दिवाकर त्रिपाठी | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 4. | श्री संजय भूसरेड्डी | विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन, आवास विभाग। |
| 5. | श्री यज्ञवीर सिंह चौहान | विशेष सचिव एवं
मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक उ०प्र०। |
| 6. | श्रीमती रीता विशाल | संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग
उ०प्र० शासन। |
| 7. | श्री एच.सी. पाण्डेय | प्रतिनिधि महानिदेशक, उ०प्र० पर्यटन
निगम। |
| 8. | श्री बृजलाल रावत | सभासद, नगर निगम एवं
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 9. | श्री विजय शंकर बाजपेई | सभासद, नगर निगम एवं
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 10. | श्री शिव कुमार | सभासद, नगर निगम एवं
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 11. | श्री राम अधार सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 12. | श्री जयपाल सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 13. | डा० सियाराम | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

अन्य उपस्थित:

- | | | |
|-----|--------------------|-------------------------------|
| 14. | कु० रेखा मुप्ता | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 15. | श्री आर०पी० शुक्ला | मुख्य अभियंता, ल०वि०प्रा०। |
| 16. | श्री मनमोहन | मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा०। |
| 17. | श्री अमरेश सिंह | मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०। |

विषय संख्या: 01

हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर "एच" में आश्रयहीन 1000 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय:

विचार विचार विमर्श के उपरान्त हरदोई रोड योजना के सेक्टर "एच" में 1000 आश्रयहीन भवनों के निर्माण हेतु रु0 2,12,58,400/= रु0 दो करोड़, बारह लाख, अठ्ठावन हजार, चार सौ की स्वीकृति एवं हडको से ऋण प्राप्त करने हेतु अनुमोदन निम्नांकित शर्तों सहित प्रदान किया गया:

1. योजना का कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाये।
2. भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व आवश्यक आधार भूत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाये।
3. आश्रयहीन भवनों का निर्माण, अवस्थापना सम्बन्धी मूलभूत सुविधाओं के विकास/परियोजना की लागत, पत्र व्यक्तियों के आवन्तन तथा समय से किशतों की वसूली आदि सुनिश्चित करने हेतु आश्रयहीन योजना के लिए एक परियोजना प्रबन्धक तथा उसके अधीन परियोजना प्रबन्ध इकाई को उपाध्यक्ष द्वारा गठित किये जाने के निर्देश दिये गये यह इकाई भवनों पर आबंटियों को कब्जा दिए जाने तक कार्यरत रहेगी। इस इकाई को परिकल्पना से कब्जा देने तक की "टर्न की" जिम्मेदारी दी गई।
4. जल निकासी का समुचित प्रबन्ध पहले सुनिश्चित किया जाये।
5. विस्तृत अर्थ विवेचना तथा केश इन फ्लो एवं केश आउट फ्लो के प्रोजेक्शन को टाइम ट्यून मुख्य लेखाधिकारी से करा लिया जाये।
6. सामूहिक सुलभ शौचालय हेतु बायोगैस एवं डाइजेस्टर आधारित व्यवस्था जो सफलतापूर्वक लखनऊ की कई मलिन बस्तियों में चल रही है इस परियोजना के लिए अंगीकृत की जाये।
7. आवन्तन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इन आश्रयहीन भवनों का आबंटन हेतु इस विषय पर जारी शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण के गैर शासकीय सदस्यों के परामर्श से मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाए जायें।
8. योजना की विद्युत व्यवस्था हेतु उप केन्द्र के लिये स्थान आरक्षित कर दिया जाये।
9. यह भी निर्णय लिया गया कि पार्क की व्यवस्था हेतु 15% आरक्षित भूमि के स्थान पर न्यूनतम आवश्यक 12% भूमि आरक्षित की जाये। अवशेष 3% भूमि पर यथा आवश्यक छोटे-छोटे विक्रय केन्द्र/दुकानों का प्राविधान किया जाये, जिनमें दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की उपलब्धता हो।
10. योजना के प्रस्तावित मार्ग जो 3.5 मी0 के है, उन्हें 4.5 मी0 चौड़ा किया जाये।

विषय संख्या: 02

ग्राम पारा में 2000 आश्रयहीन भवनों के निर्माण की परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय:

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त ग्राम पारा में खसरा संख्या: 2121, 2205, 2746, 2855 एवं 2599 की 59 बीघा भूमि जो नगर निगम से प्राधिकरण को हस्तान्तरित हुई है पर 2000 आश्रयहीन भवनों के निर्माण हेतु रु0 596.20 लाख की योजना पर स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त स्थल का वर्तमान भू उपयोग ए 1(कृषि) से आर 2(आवासीय) करने हेतु प्राधिकरण की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु भेजने का निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि योजना का क्रियान्वयन तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव संख्या: 01 के अन्तर्गत उल्लिखित समस्त प्रतिबन्ध इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी होंगे।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

ह0/

॥ कु0 रेखा गुप्ता ॥
सचिव,

ह0/

॥ दिवाकर त्रिपाठी ॥
उपाध्यक्ष,

अनुमोदित।

ह0/

॥ सीरम चन्द्र ॥
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सत्य प्रति प्रमाणित।

॥ कु0 रेखा गुप्ता ॥
सचिव,

विषय संख्या: 02

पृष्ठ संख्या: 10

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 27 मई 2000 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

विषय संख्या	विषय एवं निर्णय	अनुपालन आख्या
1	2	3

विषय संख्या: 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 27 मई 2000 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 27 मई 2000 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

नोट किया गया ।

विषय संख्या: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 27 मई 2000 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय: प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

(1)- लखनऊ महानगर में हो रहे अनाधिकृत निर्माणों को तत्काल रोका जाय और भविष्य में अनाधिकृत निर्माण न हों इस हेतु समय-समय पर निरीक्षण किया जाये तथा एक सप्ताह के अन्दर रोस्टर बनाकर प्रस्तुत किया जाये तथा डिमालेशन आदेशों के प्रकरणों की सूची तैयार की जाये। विशेषकर प्रेस क्लब तथा जिमखाना क्लब, वी.आई.पी. क्षेत्रों में बहुदेशीय अनाधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना दर्ज कराकर उसकी सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाये। अब तक दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्टों की सूची प्राधिकरण के समस्त मा0 सदस्यों को भेजी जाये। मुख्य नगर नियोजक से महत्वपूर्ण शमन केस में पारित आदेशों का परीक्षण कराया जाये।

(2)- जिन 100 पार्कों का विकास कार्य पूर्ण किया गया है उनमें प्रत्येक में एक अवर अभियन्ता एवं एक माली तैनात करके उसकी सूची नाम सहित पार्क में प्रदर्शित की जाये तथा एक प्रति समस्त मा0 सदस्यों को भेज दी जाये। पदस्थ अवर अभि0 पार्क के आस-पास के निवासियों से सम्पर्क स्थापित कर पार्क के सौन्दर्यकरण की व्यवस्था रखेंगे।

(3)- अनुपालन के विषय संख्या: 23 व 24 के निर्णयानुसार गठित समिति की संस्तुति के अनुसार डेढ़ एक भूमि दिये जाने के निर्देश दिये गये।

निर्देशानुसार रोस्टर निरीक्षण आदेश जारी किया जा चुका है तथा अन्य निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। सील किये गये भवनों की सूचना अलग से प्रस्तुत की जा रही है।

निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।

बैंडमिन्टन एकाडमी को डेढ़ एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है।

- (4)- अनुपालन के विषय संख्या:31 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया । जब तक केशरबाग मण्डी का निर्माण प्रारम्भ नहीं हो जाता तब तक उस स्थान पर पार्किंग बना दी जाये । कार्यवाही की जा रही है।
- (5)- अन्य बिन्दु संख्या: 5 के सम्बन्ध में अपर सचिव को निर्देश दिये गये कि अवध अपार्टमेंट में अब तक कुल व्यय कितना हुआ तथा कितनी धनराशि प्राप्त हुई, का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाये । विवरण अलग से संलग्न किया जा रहा है।
- विषय संख्या: 3 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या ।
- निर्णय: विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया । नोट किया गया।
- विषय संख्या: 4 लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय-व्यय विवरण एवं बैलेन्स शीट वर्ष 1997-98 का अनुमोदन ।
- निर्णय: प्रस्तुत आय-व्यय विवरण एवं बैलेन्स शीट वर्ष 1997-98 का अनुमोदन किया गया। नोट किया गया।
- विषय संख्या: 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक वर्ष 2000-2001के सम्बन्ध में ।
- निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक वर्ष 2000-2001 का अवलोकन किया गया एवं निम्न निर्देश के साथ पारित किया गया : - निर्णयानुसार कार्यवाही की गई।
- (1)- राजस्व आय + पूंजीगत आय का 10% + अन्य आय राजस्व व्यय से अधिक होने का अनुपालन होना चाहिये ।

(2)- राजस्व आय पक्ष के वर्ष 2000-2001 के अनुमानों में निम्न संशोधन किये गये :-

मद संख्या तथा नाम	प्रस्तावित	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित
1.1- समस्त योजनाओं का लीज किराया/फ्रीहोल्ड शुल्क	200.00 लाख	250.00 लाख
5.5- विकास शुल्क/सुदृढीकरण	200.00 लाख	250.00 लाख
5.6- मलवा चार्ज	20.00 लाख	40.00 लाख
5.7- सुपरवीजन चार्ज	25.00 लाख	40.00 लाख
7- ठेकेदार पंजीकरण शुल्क	5.00 लाख	20.00 लाख
9- हस्तांतरण शुल्क	10.00 लाख	15.00 लाख

(3)- पूंजीगत आय पक्ष में वर्ष 2000-2001 के अनुमानों में निम्न संशोधन किये गये :-

9- व्यवसायिक भूखण्डों की बिक्री	3000.00 लाख	4000.00 लाख
11- व्यवसायिक भवनों/दुकानों की बिक्री ।	400.00 लाख	500.00 लाख

(4)- व्यय पक्ष में राजस्व व्यय पर निम्न संशोधन प्रस्तावित किये गये:-

(क)- अधिष्ठान के वेतन भत्ते के मद में वर्ष 2000-2001 के आय व्ययक अनुमानों का आधार स्पष्ट नहीं है । उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 इसको पुनरीक्षित कराये ।

- (ख)- कानूनी व्यय पर अंकुश लगाया जाये। कम्प्यूटरीकरण पर व्यय का परीक्षण विशेष सचिव-आवास श्री संजय भूसरेड्डी द्वारा किया जायेगा।
- (ग)- उच्च तथा मध्यम आय वर्ग के भवन के निर्माण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जायेगा।
- (घ)- अवध अपार्टमेन्ट परिसर में रिक्त भूमि पर फ्लैट्स की विभागीय पद्धति के अतिरिक्त प्रक्रियाओं से निर्माण के विकल्पों का परीक्षण करके प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
- (5)- विश्वास खण्ड स्थित व्यासायिक काम्प्लेक्स का जो फ्लोर बेचा गया है उसका पूरा मूल्य प्राप्त हो जाने के बाद ही कब्जा दिया जाये। इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी यही प्रक्रिया अपनायी जाये।
- (6)- मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सी. एस. आई. बिल्डिंग में "ए" टाईप के 57 फ्लैटों का कब्जा 30 जून 2000 तक दे दिया जायेगा।

विषय संख्या: 6

जानकी पुरम विस्तार योजना में 45 00 मीटर चौड़ी सड़क की विवादित भूमि के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव।

निर्णय:

विचार विमर्श के उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देश दिये गये कि सी. टी. सी. पी. मौके का निरीक्षण कर लें तथा यदि कोई आपत्ति हो तो अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

कार्यवाही कां जा रही है।

- विषय संख्या: 7 लखनऊ विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों/अधिकारियों के स्कूटर/मोटर साइकिल भत्ते में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचारोपरांत यह निर्देश दिये गये कि वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।
- विषय संख्या: 8 श्री प्रेमशंकर गुप्ता, लेखालिपिक के पुत्र की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।
निर्णय: प्रस्ताव पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अनुसार देय धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाये । प्रतिपूर्ति कर दी गई है।
- विषय संख्या: 9 श्रीमती परवीन आलिया को शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड-1 में आवंटित भूखण्ड संख्या:2/3 (540 वर्गमीटर) को गोमती नगर योजना भाग-2 के विराज खण्ड में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया । पक्ष को सूचित किया गया।
- विषय संख्या: 10 गोमती नगर योजना के विराम खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या:सी.पी.-1 का आवंटन मेसर्स रोमिन्स विल्डर्स के पक्ष में बहाल किये जाने के समझौते के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
निर्णय: इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में बोर्ड द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार निगोसियेशन किये जायें । निगोसियेशन करके अनुपालन पूर्ण किया गया।

- विषय संख्या: 11 श्रीमती बी. अग्रवाल को आवंटित भूखण्ड संख्या: 4/2-बी प्रियदर्शनी योजना (सीतापुर रोड) से गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि हाई टेंशन लाइन से प्रभावित समस्त भूखण्डों को सीतापुर रोड योजना में अन्यत्र समायोजित करने की कार्यवाही की जाये । त्रुटिपूर्ण ले-आउट प्लानों के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किये जायें ।
पक्ष को सहमति हेतु पत्र भेजा गया परन्तु पक्ष द्वारा समायोजन हेतु सहमति नहीं दी गई। अन्य कार्यवाही की जा रही है।
- विषय संख्या: 12 श्री मुकेश सरन को आवंटित भूखण्ड संख्या: 4/3-बी प्रियदर्शनी योजना (सीतापुर रोड) को गोमती नगर योजना में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सीतापुर रोड योजना में ही उपलब्ध भूखण्डों में समायोजित/परिवर्तित कर दिया जाये ।
पक्ष को सूचित कर दिया गया है। समायोजित हेतु सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है।
- विषय संख्या: 13 कु० आसमा खान को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित भवन संख्या: एम11/24 सेक्टरसी सीतापुर रोड योजना के विरुद्ध आरोपित ब्याज/दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचारविमर्श के उपरांत ब्याज काफी का प्रस्ताव निरस्त किया गया ।
पक्ष को सूचित किया गया।
- विषय संख्या: 14 जनपथ मार्केट स्थित दुकान संख्या: बी51 के बगल में स्थित 84.42 वर्गमीटर भूमि ग्राम भिकास विभाग को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचारविमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि श्री राम प्रकाश गुप्ता एण्ड ब्रदर्स को दी जाने वाली भूमि क्षेत्रफल 26.87 व.मी. आरक्षित करके शेष भूमि की नीलामी की जाये, जो सर्वोच्च दरें प्राप्त हों, उसी दर पर श्री गुप्ता को भूमि आवंटन किये जाने का आफर दिया जाये
अन्य कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। पुनः विचारय प्रस्तुत किया जा रहा है।

- विषय संख्या: 15 श्री भगवान दास गुप्ता को शारदा नगर योजनामें आवंटित भवन संख्या: एच.आई.जी. 1/73 रुचि खण्ड के बदले गोमती नगर योजना में भवन संख्या:एच.आई.जी. 4/310 विनीत खण्ड में भवन आवंटन ।
निर्णय: विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि वर्तमान मूल्य पर आवंटन किया जाये । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।
- विषय संख्या: 16 गोमती नगर योजना भाग-2 के अन्तर्गत हरविलास कोल्ड स्टोरेज एवं मोटर सेल्स लि० को भूमि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक: 19.03.99 के क्रम में समायोजित करने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि शासन के पत्र दिनांक: 10.08.99 के परिप्रेक्ष्य में अर्थ विवेचना का परीक्षण कराया जाये। भूमि को अर्जित करने तथा निर्माण को ध्वस्थ करने पर आने वाले व्यय तथा आय और समायोजन पर आय-व्यय का तुलनात्मक अध्ययन करके इकानॉमिक्स सहित आख्या शासन को भेजने हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को अधिकृत किया गया । एजेण्ड नोट में शासन के इस पत्र का उल्लेख नहीं था । बोर्ड के समक्ष अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने के लिये सचिव, ल०वि०प्रा० उत्तरदायित्व निर्धारित करें । अधिशासी अभियन्ता(अजेन) से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। तदुपरान्त उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- विषय संख्या: 17 राम नगर जल निकासी योजना से सम्बन्धित ।
निर्णय: विचार-विमर्श के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । यह निर्देश दिये गये कि अवस्थापना निधि तथा दशम वित्त से प्राप्त धनराशि डब-टेल करके कार्य कराया जाये। परियोजना के आगणन का जल निगम के मुख्य अभियन्ता से परीक्षण करा लिया जाये । कार्यवाही कां जा रही है।

विषय संख्या: 18 इन्द्रा गांधी प्रतिष्ठान से संलग्न भूमि के भूउपयोग को इन्द्रा गांधी प्रतिष्ठान से अस्पताल भूउपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाये । अस्पताल हेतु भूमि निस्तारित किये जाने हेतु मूल्य दर के बारे में भी दिशा निर्देश प्राप्त कर लिये जायें ।

शासन को पत्र भेजा गया। समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर जनता से आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त किये जा रहे हैं।

विषय संख्या: 19 मानचित्र स्वीकृत करते समय तथा मानचित्रकारों/वास्तुविदों को अनुज्ञप्ति के समय ली जाने वाली अम्बार फीस, पर्यवेक्षण शुल्क, सुदृढीकरण शुल्क, जल शुल्क तथा अनुज्ञप्ति शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।

निर्णयानुसार शुल्क प्राप्त किया जा रहा है।

विषय संख्या: 20 अनार्जित भूमि को योजनान्तर्गत शासन की नीति के अनुसार समायोजित करने के संबंध में।

निर्णय: विचारविमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि शासनादेश तथा आवास विकास के नोटिफिकेशन के अनुसार निगोसियेशन कराकर जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या: 21 उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद को योजनाओं में भूखण्डों व सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण या बाधा हटाने हेतु परिषद के अधिकारियों को शक्ति का प्रतिनिधायन।

निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

निर्णयानुसार आदेश निर्गत किये गये।

अनु.वि.सं0 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं में भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य एवं विकास कार्यों के लिये भूमि बन्धक रखकर हुडको से ऋण लिये जाने का प्रस्ताव ।

निर्णय:

विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही की जा रही है।

अनु.वि.सं. 2

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराज खण्ड में मा0 उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों के निर्माण एवं विकास हेतु निजी वास्तुविद नेसर्स स्काई लाईन को अनुबन्धित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय:

विचार विमर्श के उपरांत निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित की गई :

कार्यवाही की जा रही है।

1	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
2	सी.टी.सी.पी.उ.प्र.	सदस्य
3	मुख्य नगर नियोजक	सदस्यसचिव
4	श्री आर.पी.शुक्ला, मुख्य अभियंता	सदस्य
5	श्री राम अघार सिंह	सदस्य

उक्त समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

अनु0वि0सं0 3

विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक:22 जनवरी 2000 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में समिति की बैठक की अनुसंशा ।

निर्णय:

विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये। आभन्वित की गई है। सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर आपत्तियों

अनु0वि0सं0 4

यू.पी.आई.एल. कैम्पस ऐशबाग, लखनऊ में विधायक आवासीय योजना हेतु डी.ए.वी. कालेज के सामने ऐशबाग रोड पर स्थित 3000 वर्गमीटर की भूमि के भूउपयोग को आवासीय से (आर3) व्यवसायिक, वाणिज्यिक, खण्डीय विपणन केन्द्र में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय:

विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लेने हेतु अधिकृत करते हुए उपसमिति गठित की गयी जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:

- 1 मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक उ.प्र.
- 2 मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0
- 3 श्री जयपाल सिंह, सदस्य, ल0वि0प्रा0

उक्त समिति के निर्णय के अनुसार शासन को सूचित कर दिया जाये ।

पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

अनु0वि0सं0 5

मो0 आरिफ, अवर वर्ग सहायक की पत्नी को किडनी कैंसर रोग की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति ।

निर्णय:

विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अनुसार प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जाये ।

प्रातिपूर्ति कर दी गई है।

अनु0वि0सं0 6

गोतम बुद्ध मार्ग स्थित पुराने आर.टी.ओ. पर टू टियर पार्किंग का निर्माण कार्य ।

निर्णय:

विचारविमर्श के उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई और निर्देश दिये गये कि पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

कार्यवाही की जा रही है।

- अनु0वि0सं0 7 श्री डी.सी.मिश्र को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में आवंटित "अ" श्रेणी के अर्धनिर्मित भवन संख्या:ए4/59 के स्थान पर गोमती नगर योजना में भी भूखण्ड परिवर्तित/समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।
समायोजन की कार्यवाही की जा रही है।
- अनु0वि0सं0 8 अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय: विचारविमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम नीति निर्धारित कर दिशा निर्देशों के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
विचार विमर्श के मध्य प्रस्ताव का अंतिम नहीं पाया गया।
- अनु0वि0सं0 9 श्री आर0डी0शर्मा सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता को कानपुर रोड योजना में आवंटित दुकान के स्थान पर महानगर योजना गोल मार्केट में व्यवसायिक भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन ।
निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया तथा निर्देश दिये गये कि उपलब्ध 200वर्गफुट भूमि की नीलामी सुनिश्चित की जाये ।
कार्यवाही की जा रही है।

अनु0वि0सं0 10

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भवन संख्या:वी2/195 विराट खण्ड में लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय:

विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव निरस्त किय गया ।

पक्ष को सूचित कर दिया गया।

अनु0वि0सं0 11

श्रीमती प्रेमलता निगम को आवंटित भूखण्ड संख्या: ए1/35 सेक्टरआई, सीतापुर रोड योजना को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय:

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

पक्ष को सूचित किया गया।

अनु0वि0सं0 12

अलीगंज योजना के सेक्टर"जी" के अन्तर्गत पुराने हनुमान मन्दिर के पास पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निर्णय:

विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सी.टी.सी.पी.उ.प्र. एवं श्री जयपाल सिंह स्थल का निरीक्षण कर लेंगे । तदोपरांत उनकी संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

कार्यवाही कां जा रही है।

अनु०वि०सं० 13

निर्णय:

भूखण्ड खसरा संख्या: 605/1 ग्राम चिनहट का समायोजन के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि स्थल का सर्वे कराकर ले-आउट बना लिया जाये और समायोजन हेतु समस्त प्रकरणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाये ।

कार्यवाही की जा रही है।

अन्त बिन्दु:

श्री वृजलाल रावत, सदस्य, ल०वि०प्रा० द्वारा अवगत कराया गया कि प्रियदर्शनी योजना में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जगह-जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि प्रियदर्शनी योजना के आस-पास बहुत अधिक अनाधिकृत निर्माण हो रहे हैं । इस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि दिनांक: 31.05.2000 तक निरीक्षण कराकर उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० अपने अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।

कार्यवाही पूर्ण की गई।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 16 अगस्त 2000 में लिये गये निर्णयों की
अनुपालन आख्या

विषय संख्या:	विषय एवं निर्णय	अनुपालन आख्या
--------------	-----------------	---------------

विषय संख्या: 01

हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर "एच" में आश्रयहीन 1000 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निर्णय:

विचार-विमर्श के उपरान्त हरदोई रोड योजना के सेक्टर "एच" में 1000 आश्रयहीन भवनों के निर्माण हेतु ₹0 2,12,58,400/= ₹ रुपये दो करोड़ बारह लाख अट्ठावन हजार चार सौ मात्र की स्वीकृति एवं हडको से ऋण प्राप्त करने हेतु अनुमोदन निम्नांकित शर्तों सहित प्रदान किया गया :-

योजना के वित्त पोषण हेतु हडको से प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

11-

योजना का कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाये ।

४.१०.२००० से कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है। आन्तरिक विकास का कार्य विभागीय कार्य पध्दति से कराया जा रहा है।

12-

भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व आवश्यक आधार भूत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाये ।

अप्रोच रोड, जल निकासी एवं विद्युत आदि के कार्य प्रारम्भिक चरण में हैं। सड़क का कार्य प्रगति पर है। परियोजना प्रबन्धक के दायित्वों का निर्वहन हेतु प्रदेश अधिशासी अभियन्ता को तैनात किया गया है। जल निकासी का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में जल निकासी नेचुरल एस. डब्ल्यू. ड्रेन पर आधारित है। पूरे हरदोई रोड का नियोजन किया जा चुका है।

13-

आश्रयहीन भवनों का निर्माण, अवस्थापना सम्बन्धी मूलभूत सुविधाओं के विकास/परियोजना की लागत, पात्र व्यक्तियों के आबंटन तथा समय से किशतों की वसूली आदि सुनिश्चित करने हेतु आश्रयहीन योजना के लिये एक परियोजना प्रबंधक तथा उसके अधीन परियोजना प्रबंधक इकाई को उपाध्यक्ष द्वारा गठित किये जाने के निर्देश दिये गये । यह इकाई भवनों पर आबंटियों को कब्जा दिये जाने तक कार्यरत रहेगी । इस इकाई को परिकल्पना से कब्जा देने तक की "टर्न की " जिम्मेदारी दी गई ।

14-

जल निकासी का समुचित प्रबन्ध पहले सुनिश्चित किया जाये ।

- ॥5॥- विस्तृत अर्थ विवेचना तथा केश इन फ्लो एवं केश आउट फ्लो के प्रोजेक्शन को टाईम ट्यून मुख्य लेखाधिकारी से करा लिया जाये । प्रकरण मुख्य लेखाधिकारी के विचाराधीन है।
- ॥6॥- सामूहिक सुलभ शौचालय हेतु बायोगैस एवं डाइजेस्टर आधारित व्यवस्था जो सफलतापूर्वक कई मलिन बस्तियों में चल रही है, इस परियोजना के लिये अंगीकृत की जाये । निर्णयानुसार कार्य प्रस्तावित किया गया है एवं शीघ्र क्रियान्वयन हो जायेगा।
- ॥7॥- आबंटन प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इन आश्रयहीन भवनों के आबंटन हेतु इस विषय पर जारी शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण के गैर शासकीय सदस्यों के परामर्श से मार्ग दर्शक सिद्धांत बनाये जायें । आवन्तन प्रक्रिया में अशासकीय संस्थाओं से सहयोग हेतु अनुरोध किया गया है। सब-स्टेशन का कार्य प्रगति पर है।
- ॥8॥- योजना की विद्युत व्यवस्था हेतु उप केन्द्र के लिये स्थान आरक्षित कर दिया जाये ।
- ॥9॥- यह भी निर्णय लिया गया कि पार्क की व्यवस्था हेतु 15% आरक्षित भूमि के स्थान पर न्यूनतम आवश्यक 12% भूमि आरक्षित की जाये । अविशेष 3% भूमि पर यथा आवश्यक छोटे-छोटे विक्रय केन्द्र /दुकानों का प्राविधान किया जाये जिनमें दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की उपलब्धता हो । निर्णयानुसार प्रविधान किया गया।
- ॥10॥- योजना के प्रस्तावित मार्ग जो 3.5 मी० के हैं उन्हें 4.5 मी० चौड़ा किया जाये । भू-विन्यास में निर्णय के अनुसार प्राविधान कर लिये गये हैं।
- ग्राम पारा में 2000 आश्रयहीन भवनों के निर्माण की परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में । विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त ग्राम पारा में खसरा संख्या:2121,2205,2746,2855 एवं 2599 की 59 बीघा भूमि जो नगर निगम से प्राधिकरण को हस्तांतरित हुई है पर 2000 आश्रयहीन भवनों के निर्माण हेतु रु० 596.20 लाख की योजना पर स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त स्थल का वर्तमान भू उपयोग ए-1(कृषि) से आर-2(आवासीय) करने हेतु प्राधिकरण की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु भेजने का निर्णय लिया गया । निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। स्थल पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
- यह भी निर्णय लिया गया कि योजना का क्रियान्वयन तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाये इसके अतिरिक्त प्रस्ताव संख्या:01 के अन्तर्गत उल्लिखित समस्त प्रतिबन्ध इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी होंगे । भू-उपयोग परिवर्तन का प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है।

विषय संख्या: 02
निर्णय:

कार्यालय, अवर सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

संख्या: 120/H3/Comp/2000

दिनांक: 10/11/2000


सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण की पैठक 27 मई, 2000 के विषय
संख्या: 2 वीबन्दु-5 के सम्बन्ध में सूचना जारी रखी थी कि अबद आर्गिन्ट
में अब तक कुल व्यय वितना हुआ तथा वितनी धनराशि प्राप्त हुई, के
सम्बन्ध में अधिभागी अधिसूचना से प्राप्त सूचना साथ में संलग्न की जा
रही है। संलग्न सूचना के क्रमांक-9 पर व्यय/मुगतान के मद में स्वया -
रु० 12, 15, 78, 368. 94 है तथा क्रमांक-13 पर प्राप्त धनराशि के मद
में रु० 1760. 69 लाख है।

संलग्नक: सद्योपरि ।

P.A.
h.

(रेखा गुप्ता)
सचिव 10/11/2000


श्री अनंद सिंह
अवर सचिव,

1- कार्य की स्वीकृत निविदा -	₹ 10,71,04,059=00
2- शर्ती	मे० पितायती राम मिस्तल
3- अनुबन्ध के अनुसार कार्य - प्रारम्भ की तिथि	10.7.1996
4- अनुबन्ध के अनुसार कार्य - समाप्त की तिथि	9-7-1998
5- प्रथम स्वीकृत विवरण -	₹ 12,39,21,915=40
	दिनांक-29-10-9834Tधयध
6- द्वितीय स्वीकृत विवरण-	₹ 12,94,11,927.00
	दि० 8-3-2000 34Tधयध
7-स्वीकृत समय वृद्धि -	31-3-2000तक
8- अब तक किया गया कार्य -	₹ 12,35,78,368=94
9- अब तक ठेकेदार को किया - गया भुगतान	₹ 12,15,78,368=94
10- कुल निर्मित भवनों की सं० --	टाइप 1 - 32
	टाइप 2 - 32
	टाइप 3 - 64
11- अब तक भौतिक कब्जा - दिया गया	80 भवन दि० 29-7-2000 से केनरा बैंक को
12- अवशेष अनावंटित भवन -	28 टाइप 1 प्रकार के तीन बेड रु. वाले
13- उक्त भवनों हेतु अब तक - प्राप्त धनराशि	₹ १७६६०० से - ₹ 579.35लाख ₹ १६६६०० अनावंटित - ₹ 01181.34लाख हैंको से ----- योग-₹ 1760.69लाख

Checked by
18-11-2000

सं. के. चव्हेरी अवर कमिश्नर

नं. EE-12

विषय संख्या : ३

पृष्ठ संख्या : 28

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत तीन माह में किये गये कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा
विगत तीन माह में किये गये कार्यों
की भौतिक एवं वित्तीय
प्रगति आख्या अलग से प्रस्तुत
की जा रही है।

विषय संख्या: 4

पृष्ठ संख्या: 29

विषय: आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 1999 के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त 17 पृष्ठों की आवश्यक परिष्कार के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव:-

पूर्व में शासन से प्राप्त आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 1999 को प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 22.1.2000 द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है, जिसकी सूचना शासन को अधिसूचना जारी करने हेतु दिनांक 31.3.2000 को प्रेषित की जा चुकी है। पुनः शासनादेश संख्या: 651/आ0व0-भवन/उपविधि/99-2000 दिनांक 20 अप्रैल, 2000 द्वारा आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 1999 में 17 पृष्ठों की आवश्यक परिष्कार/संशोधन प्राप्त करायी गयी है, जिसे प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 1999 के सम्बन्ध में प्राप्त 17 पृष्ठों के आवश्यक परिष्कार/संशोधन प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अंगीकरण पर विचार हेतु प्रस्तुत है।

20-11-2000

संख्या 69 / आ0ब0-भवन उपविधि/99-2000

30

प्रेषक,

श्री रामकृष्ण प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. सगरा विकास प्राधिकरणों के संपादन,
उत्तर प्रदेश।

आवास बन्धु

लखनऊ : दिनांक : मार्च 20, 2000

विषय: आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 1999 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 686/आ0ब0-शासनादेश संकलन/99 दिनांक 30.12.1999 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 1999 (आदर्श आकृति) को अंगीकृत किए जाने विषयक है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श भवन उपविधि में विभिन्न अधिभारों / उपयोगों हेतु शामिल किए गए पूर्णता प्रमाण-पत्रों के प्रारूप तत्समय विधि विभाग के विधीकरण हेतु विचाराधीन थे जो विधि विभाग द्वारा अब विधीकृत किए जा चुके हैं। विधि विभाग द्वारा प्रपत्रों में चुंकि कतिपय अल्प संशोधन किए गए हैं, अतः शासन द्वारा आदर्श भवन उपविधि में संशोधित प्रपत्रों को समाविष्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कतिपय विकास प्राधिकरणों से भवन उपविधियों के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्राप्त हुए थे जिनका समावेश भी आदर्श भवन उपविधि में किया जा रहा है:-

- (i) अध्याय-3(भाग-3) की उपविधि संख्या 3.3.6 में ग्रुप हाऊसिंग हेतु प्रति आवासीय इकाई का अधिकतम तल क्षेत्रफल निर्धारित नहीं था, जो 125 वर्ग मीटर रखा गया है।
- (ii) अध्याय-3(भाग-4) की उपविधि संख्या 3.4.2 जो व्यवसायिक/कार्यालय/संस्थागत/सामुदायिक सुविधाओं (10 मीटर ऊँचाई तक) के भवनों हेतु सेट-बैक के सम्बन्ध में है, के अन्तर्गत 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के व्यवसायिक भूखण्डों हेतु सेट-बैक निर्धारित नहीं था, अतः उपविधि संख्या 3.4.2 की टिप्पणी (ii) पर निम्न प्राविधान जोड़ा गया है:-

"200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के व्यवसायिक भूखण्डों में न्यूनतम सेट-बैक 3 मीटर अनुमत्त होगा।"

(iii) अध्याय-7 जो पेट्रोल पम्प/पेट्रोलिंग स्टेशन हेतु अपेक्षाओं से सम्बन्धित है, में उपविधि संख्या-7.2 (भवन की नोंद एवं मानक) की टिप्पणी-1 के स्थान पर निम्न प्राविधान रखा गया है:-

"सैनापी का निर्माण सेट-बैक लाइन के भीतर अस्थाई संरचना के रूप में अनुमत्त होगा जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।"

(iv) अध्याय-3 के भाग-4 की उपविधि संख्या-3.4.1(v) में टंकण सम्बन्धी त्रुटि थी जिसमें निम्न शुद्धीकरण किया गया है:-

"विशेष परिस्थितियों में कोने के भूखण्ड के साईड सेट-बैक में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा छूट दी जा सकेगी।"

(v) अध्याय-3 के भाग-4 की उपविधि संख्या 3.5.1 की टिप्पणी (iii) में टंकण सम्बन्धी त्रुटि सह गई थी जिसके निराकरण हेतु टिप्पणी (iii) की तृतीय पंक्ति में "शैक्षणिक संस्थाएं आदि" के पश्चात् "तथा आवासीय" शब्द जोड़े गए हैं।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन प्राधिकरणों द्वारा आदर्श भवन उपविधि, 1999 को अभी तक अंगीकृत नहीं किया गया है, उपरोक्त संशोधनों को समायोजित करते हुए बोर्ड से अंगीकृत/अनुमोदित कराने के उपरान्त अपिलम्ब शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। विधि विभाग द्वारा विधीकृत पूर्णता प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित प्रपत्रों की एक-एक छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (17 पृष्ठ)।

भवदीय,

2000
का.प्र.त (रामवृक्ष प्रसाद)
संयुक्त सचिव

संख्या (1)/आ0ब0-भवन उपविधि/99-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास वन्द्यु।

2000
का.प्र.त (रामवृक्ष प्रसाद)
संयुक्त सचिव

विकास/पुनर्विकास हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(उपविधि संख्या 2.1.1)

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
.....

महोदय,

मैं एतद्द्वारा यह आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करता हूँ कि मैं सजरा संख्या
. . . . भूखण्ड संख्या उपनिवेश/मार्ग
मोहल्ला/वाजार नगर में विकास/पुनर्विकास करने का
इच्छुक हूँ और भवन उपविधियों के सुरंगत उपविधि संख्या 2.1.1 के अनुसार आवेदित करता
हूँ और मैं इसके साथ मानचित्रों एवं विशिष्टियों (मद 1 से 6) चार प्रतियों में जो मेरे द्वारा
हस्ताक्षरित की गई हैं, और अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति
(नाम मोटे अक्षरों में) अनुज्ञापित संख्या जो कि विकास कार्य का
पर्यवेक्षण करेगा द्वारा भी हस्ताक्षरित की गई हैं और प्रत्येक विवरण/प्रपत्र (मद 7 से 9) संलग्न
करता हूँ।

1. की प्लान
2. साइट प्लान
3. महायोजना में स्थिति का मानचित्र
4. तलपट मानचित्र
5. सर्विसेज प्लान
6. विशिष्टिर्वा
7. स्वामित्व प्रमाण-पत्र
8. आवेदन शुल्क की प्रमाणित प्रतिलिपि
9. आवश्यक सूचनाएं एवं दस्तावेज

मैं निवेदन करता हूँ कि योजना अनुमोदित कर दी जाए और भूमि को विकसित करने हेतु
स्वीकृति प्रदान की जाए।

स्वामी के हस्ताक्षर
स्वामी का नाम
(मोटे अक्षरों में)
स्थानी का पता

दिनांक

परिशिष्ट-2

नूतन विकास क कृतं कार्यं कर्तुं चे चे
(उपविधि संख्या 2.1.6)

सेवा में,

.....
विकास प्राधिकरण,
.....

महोदय,

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि भूमि का विकास कार्य जो खसरा संख्या
..... भूखण्ड संख्या पर उपनिवेश/मार्ग
मोहल्ला/बाजार नगर में स्थित है, दिनांक
को आपकी स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र संख्या दिनांक
अनुसार आरम्भ किया जाएगा जो अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति
(नाम) अनुज्ञापित संख्या द्वारा निरीक्षण दि
जाएगा।

स्वामी के हस्ताक्षर

.....
स्वामी का नाम
(मोटे अक्षरों में)

स्वामी का पता
.....

दिनांक :

स्थान :

परिशिष्ट संख्या-3

प्रपत्र-द -55-

विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र

(नियम संख्या-3)

(उपविधि संख्या 2.1.8)

विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (I) आवेदक का नाम
- (II) वर्तमान पता
2. खसरा / भूखण्ड संख्या तथा
योजना का नाम/मोहल्ला/ वार्ड
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में)
4. अनुमन्य भू-उपयोग
- (I) विन्यास मानचित्र स्वीकृति की तिथि
- (II) परमिट संख्या
- (III) यदि अनधिकृत विकास का शमन
कराया गया हो तो शमन शुल्क जमा
करने की रसीद संख्या व दिनांक का
विवरण देते हुए शमन मानचित्र की
प्रति संलग्न करें
5. भू-उपयोग का विवरण :

क्रमांक	भू-उपयोग का श्रेणी	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		विकसित		विचलन	
		क्षेत्रफल (व०मी०)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व०मी०)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व०मी०)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
I	आवासीय						
II	वाणिज्यिक						
III	अन्य						
IV	पार्क एवं खुला स्थान						
V	सड़कें तथा गलियारों						

6. सुविधाओं की स्थिति :

क्रमांक	सुविधाएं	स्वाकृत मानचित्र में प्राविधान		पूर्णता मानचित्र में प्राविधान			
		संख्या	क्षेत्रफल (व०मी०)	पूर्ण		अपूर्ण	
				संख्या	क्षेत्रफल (व०मी०)	संख्या	क्षेत्रफल (व०मी०)
(I)	माइमरी स्कूल						
(II)	फायर सेफेण्डरी स्कूल						
(III)	डिग्री कालेज						
(IV)	डिस्सेन्सरी						
(V)	आस्पताल						
(VI)	पोस्ट आफिस						
(VII)	कन्चुनिटी सेन्टर						
(VIII)	पुलिस स्टेशन						
(IX)	फायर स्टेशन						
(X)	टेलीफोन एक्सचेंज						
(XI)	बस स्टेशन						
(XII)	ट्रेक्सी स्टैण्ड						
(XIII)	जन-सुविधाएं						
(XIV)	अन्य सुविधाएं						

7. निम्न विकास कार्य विन्यास मानचित्र पर अंकित करें:-

- (I) सड़कें
- (II) सड़क के किनारे वृक्षारोपण(आरबोरीकल्चर)
- (III) पुलिया (कन्वर्टे)
- (IV) मार्ग प्रकाश व्यवस्था
- (V) पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस-वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रैन्ट द गे हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।
- (VI) ओवर हेड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों संख्या एवं उनकी क्षमता।
- (VII) सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेवल देते हुए मेन होल, पिट्स की स्थिति।
- (VIII) सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं व (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)
- (IX) बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।
- (X) विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रान्स्फार्मर्स तथा 11 के०वी०ए० लव-स्टेशन स्थिति एवं ट्रान्स्फार्मर्स की क्षमता अंकित हो।

(XI) सीवर का अन्तिम निस्तारण-विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाइन में जोड़ने का विवरण ।

शहर की अवस्थापना प्रणाली से संयोजन की स्थिति/व्यवस्था :

- (I) सड़कें
- (II) पानी की निकासी (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था)
- (III) पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था)
- (IV) विद्युत व्यवस्था (33 के०वी०ए०/11 के०वी०ए० लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रांसफार्मर की स्थिति)
- (V) सीवर/ट्रंक सीवर से संयोजन की स्थिति

9. विन्यास मानचित्र में आन्तरिक परिवर्तन

- (I) उपविधि के अन्तर्गत है/नहीं है हाँ/नहीं
- (II) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। हाँ/नहीं

अथवा

पुनरोचित मानचित्र स्वीकृत है।

हाँ/नहीं

(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. विकास कार्यों के मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में सूचना:

विन्यास मानचित्र के साथ स्वीकृत विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में कोई विचलन नहीं हुआ है।

अथवा

विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन है जिसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण पत्र संलग्न है) अब कोई ऐसा विचलन नहीं है जो सबसे प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।

आवेदक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण भरो/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। विन्यास मानचित्र में भू-उपयोग वितरण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है। सभी सुविधाएं एवं विकास कार्य अनुबन्ध के अनुसार हैं। अतः मुझे/हमें उपरोक्त वर्णित ले-आउट प्लान का पूर्णतः प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

- 1.
- 2.
- 3.

दिनांक:

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

नोट: उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

भाग-ब

पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)

मैंने श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) का वार्ड स्थित क्षेत्र / योजना का निरीक्षण दिनांक को किया तथा उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं स्थल जूब के उपरान्त सही पाई गई हैं। इस संदर्भ में मेरी जांच आख्या निम्नवत् है:-

विकास के सभी कार्य (प्राधिकरण का नाम) विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित एवं स्वीकृत मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप हैं।

अथवा

विकसित योजना, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/ लागू उपधिवियों के अनुरूप है।

अथवा

विकसित योजना में स्वीकृत विन्यास मानचित्र से विचलन है जो क्रमांक-9 पर अंकित कर दिया गया है तथा शमन योग्य विचलन का शमन कराया जा चुका है।

उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्यात करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर: पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक
नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक

भाग-स

विकास प्राधिकरण की अम्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र
(प्रार्थना पत्र के भाग-अ एवं ब की फोटोकॉपी पर जारी किया जाए)

. वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या पर विकसित योजना के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री (पदनाम) दिनांक को विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 क (2) संपठित उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की रीति) नियमावली, 2000 के नियम संख्या-6 के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मुहर

दिनांक

भवन में निर्माण/पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(उपविधि संख्या 3.1.2)

सेवा में

महोदय,

मैं भूखण्ड संख्या ----- सजारा संख्या ----- पर/में
भवन संख्या ----- मोहल्ला/बाजार -----
कालोनी/मार्ग ----- नगर ----- में निर्माण अथवा
परिवर्तन करने हेतु आवेदन भवन निर्माण उपविधि संख्या 3.1.2 के अन्तर्गत करता हूँ और इस
हेतु निम्न मानचित्र एवं विशिष्टियों (मद संख्या 1 से 4) 4 प्रतियों में जो कि मेरे द्वारा एवं
अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति ----- (नाम मोटे अक्षरों में) -----
अनुज्ञापित संख्या ----- जो इस निर्माण का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा
हस्ताक्षरित है एवं अन्य घोषणाएं एवं वांछित प्रपत्र संलग्न है (मद संख्या 5 एवं 6)

1. स्वतः मानचित्र
2. भवन मानचित्र
3. सेवाओं हेतु मानचित्र
4. सामान्य विशिष्टियों
5. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
6. आवेदन शुल्क की प्राप्ति रसीद की फोटो प्रति

कृपया उपर्युक्त निर्माण को स्वीकृत करते हुए कार्य सम्पादन कराने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

स्वामी के हस्ताक्षर -----
स्वामी का नाम -----
स्वामी का पता -----

दिनांक : -----

परिशिष्ट-5

भवन निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना देने हेतु प्रपत्र
(उपविधि संख्या 3.1.6)

सेवा में

महोदय,

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे भवन संख्या ----- तजरा संख्या -----
स्थित कालोनी/मार्ग ----- मोहल्ला/बाजार -----
नगर ----- में स्थित निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन
अथवा ध्वस्तीकरण का कार्य दिनांक ----- को आप द्वारा
स्वीकृत मानचित्र संख्या ----- के अनुसार अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति अनुज्ञापित
संख्या ----- नाम ----- के पर्यवेक्षण में
आरम्भ होगा।

भवन स्वामी के हस्ताक्षर -----

भवन स्वामी का नाम -----

भवन स्वामी का पता -----

दिनांक : -----

परिशिष्ट-6

प्रपत्र-‘अ’

एकल आवासीय भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
(केवल 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर एकल आवासीय भवन के लिए)

नियम संख्या-3

(उपविधि संख्या 3.1.8)

विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (I) आवेदक का नाम
(II) वर्तमान पता
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/
मोहल्ला/वार्ड संख्या
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)
4. भवन का अनुमन्य उपयोग
5. (I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि
(II) परमिट संख्या
(III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो उस प्राविधान के विवरण के साथ अन्य संगत विवरण भी दें जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह प्रकरण स्वतः अनुमोदित प्राविधान से आच्छादित है एवं निर्धारित शर्तें पूर्ण की जा चुकी हैं।
6. (I) यदि अनाधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र के अनुमोदन की संख्या तथा तिथि अंकित करें
(II) शमन शुल्क भुगतान की तिथि/तिथियाँ एवं रसीद संख्या/संख्याएं तथा शमन मानचित्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
रसीद संख्या :
दिनांक :

7. निर्माण की स्थिति: (निर्माणकर्ता स्वीकृत मानचित्र/शमन मानचित्र जो लागू हो, उसके अनुसार विवरण दें)

41

क्रमांक	प्राविधान	अनुमत्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया
1	2	3	4	5

7.1 सेट बैक (मीटर में)

(क) सामने

(ख) पीछे

(ग) बाएं

(घ) दाएं

7.2 बेसमेन्ट(क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)

7.3 सुविधाएं (हैं/नहीं में)

(क) जल आपूर्ति

(है/नहीं)

(ख) मलौत्सारण

(है/नहीं)

(ग) जल निकास

(है/नहीं)

(घ) विद्युत आपूर्ति

(है/नहीं)

7.4 भवन में आन्तरिक परिवर्तन :-

(क) भवन उपविधि के अन्तर्गत

हैं/नहीं

(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो

उसका शमन हो चुका है।

हैं/नहीं

8. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। कोई अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भवन पर किए गए निर्माण की पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

1.

2.

3.

दिनांक

आवेदन हेतु अधिकृत
आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित)

क्र.सं.	प्रावधान	अनुमति	निमित्त	स्वीकृत/शमन किया गया दि.
1	2	3	4	5

4(अ) बेसमेन्ट (क्षेत्रफल ५०मी० में)

4(ब) बेसमेन्ट का उपयोग

5 स्टाट फ्लोर

(अ) क्षेत्रफल

(ब) उपयोग

6 पार्किंग ((क्षेत्रफल ५०मी० में)

7 भवन की ऊँचाई (मीटर में)

8 मजिलों की संख्या

9 अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य

(फायर आफिसर से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

10 सुविधाओं की मानचित्र पर दर्शाया जाए:

(क) जल-आपूर्ति

(ख) मलौत्साराण

(ग) जल निकास

(घ) विद्युत आपूर्ति

(ङ) लिफ्ट

(वाफ इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर, उ०प्र० से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

11 गारवेज शूट

(है/नहीं)

12 एविरेशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में एविरेशन साइट्स

लगी है/नहीं लगी है

13 भवन में आन्तरिक परिवर्तन:

(क) उपविधियों के अन्तर्गत

है/नहीं है

(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है।

हैं/नहीं

स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन के अन्तर्गत ऐसा अवधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए पूर्ण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्न अभिलेख:

- 1.
- 2.
- 3.

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित)

टिप्पणी - 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। अधिकृत होने का संलग्न किया जाएगा।

2. भवन कागजातों में प्रत्येक न्याय के लिए उचित-उचित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

2/21

प्रपत्र "ब"
ग्रुप हाजिरी, अनसाधिक एवं बुखण्डी भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
नियम संख्या-3

(सपविधि संख्या 3.1.8)

विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (I) आवेदक का नाम
(II) वर्तमान पता
2. बुखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड
3. बुखण्ड का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)
4. भवन का अनुमत्त उपयोग
5. (I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि
(II) परमिट संख्या
(III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण :
यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो -
मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें :
6. (I) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें
(II) शमन शुल्क भुगतान की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें
7. निर्माण की स्थिति:

क्रमांक	प्राविधान	अनुमत्त	निमित्त	स्वीकृत/शमन किया गया विवरण
1	2	3	4	5

- 7.1 भू-आवृत्त(प्रतिशत)
- 7.2 एन.ए.आर.
- 7.3 सैट बक (वर्ग मीटर में)
(क) जमाने
(ख) कटे
(ग) बांधे
(घ) बांधे

7. निर्माण की स्थिति:

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया
1	2	3	4	5

- 7.1 भू-आच्छादन(प्रातिशत)
- 7.2 एफ.ए.आर.
- 7.3 सैट बैक (दूरी मीटर में)
 - (अ) सामने
 - (ब) पीछे
 - (स) दाएं
 - (द) बाएं
 - (घ) वेसमेन्ट(क्षेत्रफल व०मी०)
- 7.4 सुविधाएं
 - (क) जल आपूर्ति
 - (ख) मलौत्सारण
 - (ग) जल निकास
 - (घ) विद्युत आपूर्ति

हैं/नहीं
हैं/नहीं
हैं/नहीं
हैं/नहीं

8. भवन में आन्तरिक परिवर्तन

- (क) उपविधियों के अन्तर्गत,
- (ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है।

हैं/नहीं

हैं/नहीं

9. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण भेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

- 1.
- 2.
- 3.

दिनांक

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक
के हस्ताक्षर (प्रमाण-पत्र सहित)

टिप्पणी :-

1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही जाएगी, अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए।
2. भवन कागजलेखा में प्रत्येक ब्लॉक के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

भाग-ब

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/बावसायिक एवं बहुछप्पी भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) के मूखण्ड संख्या खतरा संख्या पर स्थित भवन संख्या निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे परिसर में किया गया। उपरोक्त ये गई सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आज्ञा निम्नवत् है :-

निर्दिष्ट भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शसन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शसन मानचित्र से जो विचलन है वह कर्मांक पर अंकित कर दिया गया है।

भवन गिरा प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उक्त हेतु उपयुक्त है। इस गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन नियास हेतु पूर्णतः उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता-प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर: पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता
नाम/पता
कार्यालय आफ आफीसरचर का
पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या
लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक

भाग-स

विकास प्राधिकरण की अम्युवित एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग 'अ' एवं 'ब' की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

. बार्ड/योजना/मोहल्ला/लेक्टर में स्थित मूखण्ड संख्या पर स्थित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री (पदनाम) विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 क (2) संशुद्धित उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पूर्णता-प्रमाण पत्र प्राप्त करने की रीति) विन्यावली, 2000 के नियम संख्या-6 के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर
पदनाम
दिनांक

प्रपत्र "स"

एकल आवास, ग्रुप हाऊजिंग, व्यवसायिक एवं बहुमंजिला भवनों के अतिरिक्त अन्य भवनों के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र

नियम संख्या-3

(उपविधि संख्या 3.1.8)

विकास प्राधिकरण

भाग-ज

1. (I) आवेदक का नाम -----
(II) वर्तमान पता -----
2. पूछण्ड संख्या तथा योजना का नाम/पोस्टला/वार्ड -----
3. पूछण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) -----
4. अनुसूचित उपभाग -----
5. (I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि -----
(II) परमिट संख्या -----
(III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण :
यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो :-
मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें । -----
यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना दी गई हो :-
मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें । -----

पंजीकृत वास्तुचित्र/अभिप्रेता का प्रमाण पत्र
(एकल आवास, गुण सन्तुलित, व्यवसायिक भवन, बहुमंजिला भवन के
अतिरिक्त अन्य भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) के मुख्य
संख्या/खसरा संख्या पर स्थित भवन संख्या का
निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त
सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् है -

निर्मित भवन लागू उपविधियों एवं विज्ञापित प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के
अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र, अथवा स्वीकृत/शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक-7
पर अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी
गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित
है।

उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक
भाग-स
हस्ताक्षर
नाम/पता
काउन्सिल आफ आर्किटेक्ट्स की पंजीकरण
संख्या/लाइसेन्स संख्या :
लाइसेन्स वैधता की अवधि :

विकास प्राधिकरण की अम्युवित एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग-अ एवं ब को फोटो कॉपी पर जारी किया जाए)

..... वार्ड/पोजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित मुख्य संख्या पर
निर्मित भवन के सन्वन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री (पदनाम)
विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक को कर लिया गया है एवं विकास कार्य
प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुसंधान सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर
योजना और विद्या अधिनियम, 1973 की धारा-15 क (2) तहत उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण
(पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की दिनांक) नियमावली, 2000 के नियम संख्या-6 के अन्तर्गत पूर्णता
प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर
नाम
कार्यालय की मुद्रा
दिनांक

विषय: प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के फलस्वरूप बढ़ने वाली प्रतिकर की धनराशि योजनाओं के पुराने आवंटियों से वसूलने तथा भविष्य में भूमि के मूल्य का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में।


आख्या:

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में भूमि का अधिग्रहण करके समय-समय पर विकास व निर्माण कार्य किया गया है। अब तक प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत योजनाओं का विवरण, क्षेत्रफल, एवार्ड के आधार पर निर्धारित प्रतिकर की दर, कब्जा/एवार्ड की तिथि का विवरण आदि परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

2. योजना में अधिग्रहीत भूमि के विभिन्न हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 18/28ए के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में संदर्भ वाद प्रस्तुत किया जाता रहा है एवं लगभग सभी योजनाओं में कुछ वाद निस्तारित हो चुके हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिकर की दर बढ़ा दी गई है। धारा 28-ए के प्राविधानों के अन्तर्गत यदि किसी योजना में धारा-18 के अन्तर्गत वाद निस्तारित होता है तो उसका लाभ अन्य कास्तकारों को, अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) के न्यायालय में 3 माह में प्रार्थना-पत्र देने के उपरान्त, अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) द्वारा दिया जा सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि किसी योजना में धारा 18 के अन्तर्गत कुछ वाद निस्तारित हो जाने के उपरान्त उसका लाभ योजना के अन्य कास्तकारों को धारा 28-ए के अन्तर्गत प्राप्त हो जाता है। धारा 18 व 28-ए के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में दायर वाद तथा उनके विरुद्ध पारित निर्णय एवं निर्णय के उपरान्त बढ़ायी गई प्रतिकर की दर का विवरण परिशिष्ट-2अ व 2ब पर संलग्न किया जा रहा है।

3. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड योजना में 1527.27 एकड़ भूमि जिसका अभिनिर्णय घोषित किया जा चुका है, में घोषित अभिनिर्णय दर के विरुद्ध लगभग 200 वाद मा0 ट्रिव्यूनल न्यायालय में हितबद्ध कास्तकारों द्वारा दायर किया गया है, जिनमें 6 संदर्भ वादों में ट्रिव्यूनल द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है, जिसमें अभिनिर्णित दर 0.24 पैसे प्रतिवर्ग फुट से बढ़ाकर 1.85 पैसे प्रतिवर्ग फुट कर दिया गया है जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। उक्त निर्णय से योजना की 13.25 एकड़ भूमि प्रभावित है।

कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत पांच चरण में 3583.56 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भाग-1, 2, 3, 4 व 5 के अन्तर्गत किया गया है, जिसका अभिनिर्णय विशेष भूमि अध्याप्ति द्वारा घोषित किया जा चुका है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय के विरुद्ध हितबद्ध कास्तकारों द्वारा लगभग 300 संदर्भ वाद मा0 ट्रिव्यूनल न्यायालय में दायर किया गया है, जिनमें 53 संदर्भ वादों में निर्णय हो चुका है। मा0 ट्रिव्यूनल न्यायालय द्वारा कानपुर रोड योजना भाग-1 में अभिनिर्णित दर रु0 1.50 पैसे से बढ़ाकर रु0 3.00 प्रति वर्गफुट, कानपुर रोड योजना भाग-2 में अभिनिर्णित दर रु0 2.25 से बढ़ाकर, रु0 3.60 प्रति वर्गफुट, कानपुर रोड योजना भाग-3 में अभिनिर्णित दर रु0 1.72 से बढ़ाकर रु0 4.00 प्रति वर्गफुट तथा कानपुर रोड योजना भाग-4 में अभिनिर्णित दर रु0 1.72 से बढ़ाकर रु0 4.50 प्रतिवर्ग फुट निर्धारित कर दिया गया है। जिससे योजना की 205.82 एकड़



भूमि प्रभावित है। प्राधिकरण द्वारा बढ़ी हुई दर के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। विशेष भूमि अध्याप्ति द्वारा धारा 28-ए के अन्तर्गत योजना के अन्य कास्तकारों को मा0 ट्रिव्यूनल द्वारा बढ़ी हुई दर से भुगतान किये जाने के क्रम में 365 मामले में बढ़ी हुई दर से भुगतान करने के निर्णय दिये गये जिससे योजना की 1260.10 एकड़ भूमि प्रभावित है, जिसके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके 364 मामलों में बढ़ी हुई दर से भुगतान करने के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया।

उजरियाँव आवासीय योजना के अन्तर्गत चार चरण में लगभग 3110.76 एक भूमि का अधिग्रहण भाग-1, 2, 3 व भाग-5 के अन्तर्गत किया गया है। विशेष भूमि अधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय के विरुद्ध हितवद्ध कास्तकारों द्वारा धारा 18 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में लगभग 625 संदर्भ वाद प्रस्तुत किये गये हैं। जिसमें से सात मामलों में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। जिसमें उजरियाँव आवासीय भाग-1 में घोषित अभिनिर्णय दर रु0 1.41 से बढ़ाकर रु0 4.10 प्रति वर्गफुट तथा उजरियाँव आवासीय योजना भाग-2 में घोषित अभिनिर्णय दर रु0 0.85 पैसे प्रतिवर्ग फुट से बढ़ाकर रु0 3.00 प्रति वर्गफुट कर दिया गया है, जिससे योजना की 22.01 एकड़ भूमि प्रभावित है। प्राधिकरण द्वारा बढ़े हुए दर से भुगतान किये जाने के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत 1355.97 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसमें विशेष भूमि अध्याप्ति अधिनियम द्वारा रु0 0.04 पैसे से रु0 0.18 पैसे प्रति वर्गफुट की दर से भूमि का अभिनिर्णय घोषित किया गया है। घोषित अभिनिर्णय के विरुद्ध कास्तकारों द्वारा धारा-18 में लगभग 200 संदर्भ वाद मा0 ट्रिव्यूनल न्यायालय में दायर किया गया है जिसमें 4 संदर्भ वादों में मा0 ट्रिव्यूनल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर रु0 1.00 से रु0 6.00 प्रतिवर्ग फुट की दर से निर्धारित कर दिया गया है जिसमें प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि हरदोई रोड योजना में किसानों के साथ समझौता किया गया है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1991 को आधार मानकर समतल भूमि हेतु रु0 1,25,000/- तथा गड्डे की भूमि हेतु रु0 75,000/- प्रति बीघे की दर से भुगतान किया जा रहा है। इस पर वर्ष 1991 से भुगतान तिथि तक 15 प्रतिशत ब्याज भी दिया जा रहा है। इस आधार पर प्रतिकर की दर लगभग रु0 4.60 प्रति वर्ग फुट निकलती है।

4. स्वाभाविक रूप से योजना की भूमि की लागत/दर की गणना करते समय एवार्ड के आधार पर घोषित दर भूमि की लागत के रूप में सम्मिलित की गयी थी एवं इसी आधार पर विक्रय दर निकाली गयी थी। विभिन्न योजनाओं में आवंटित सम्पत्तियों की जो रजिस्ट्री की गयी थी उसमें यह प्राविधान रखा गया था कि यदि भविष्य में प्रतिकर की दर में किसी न्यायालय द्वारा कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो वह निम्न व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित आवंटियों द्वारा प्राधिकरण से माँग किये जाने पर भुगतान किया जाना होगा।

(क) आवासीय	100 प्रतिशत
(ख) व्यावसायिक	200 प्रतिशत
(ग) सुविधाएं	50 प्रतिशत

5. धारा 18 के अन्तर्गत कुल निर्णित 167 वादों के विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किया गया है, परन्तु स्थगनादेश से पूर्व प्राधिकरण द्वारा धारा 18 के निर्णय

S.L

के आधार पर अनुमानित प्रतिकर का 50 प्रतिशत उच्च न्यायालय में जमा किया गया है। इसी प्रकार धारा 28-ए के 371 वादों के निर्णय के विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट दायर की गयी है, जिसमें 4 को छोड़कर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किया हुआ है। एक प्रकरण जो कानपुर रोड योजना भाग-4 का है, में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की अपील को खारिज करते हुए रु0 4.50 प्रतिवर्ग फुट की दर से निर्धारित किया गया था। यद्यपि इस निर्णय के विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की गई है, परन्तु अभी तक कोई स्थगनादेश नहीं प्राप्त हो सका है।

6. चूँकि लगभग सभी योजनाओं में कुछ न कुछ वादों में मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिकर की धनराशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है एवं कई मामलों में भुगतान भी अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) द्वारा हितवद्ध व्यक्तियों को कर दिया गया है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि मा0 न्यायालय द्वारा बढ़ायी गयी प्रतिकर की धनराशि के आधार पर पुराने व नये आवंटियों से अनुपातिक धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाये। निर्णित वादों के आधार पर योजनावार प्रतिकर के अन्तर की धनराशि की गणना की गई है जो परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

7. यह उल्लेखनीय है कि अभी तक विभिन्न योजनाओं में धारा-18 अथवा 28-ए के अन्तर्गत जो भी निर्णय हुए हैं एवं उसके आधार पर जो प्रतिकर की दर बढ़ायी गई है वह योजना की सम्पूर्ण भूमि के लिए अभी लागू नहीं है क्योंकि योजना में कुछ ही व्यक्तियों द्वारा अभी तक धारा 18 अथवा 28ए के वाद दायर किये गये हैं शेष में नहीं, परन्तु यह देखा गया है कि यदि किसी योजना में कुछ व्यक्तियों द्वारा धारा 18 के अन्तर्गत वाद दायर करने के उपरान्त कोई निर्णय उस वाद में हुआ है तो उसका प्रभाव अन्ततः धारा 28-ए के अन्तर्गत पूरी भूमि पर पड़ता है एवं प्राधिकरण को सामान्यतः उन्हीं निर्णयों पर बढ़ी हुई प्रतिकर दर का भुगतान करना पड़ता है।

इस सम्बन्ध में अलीगंज योजना तथा कानपुर रोड योजना भाग-4 का उदाहरण उपलब्ध है। अलीगंज योजना के अन्तर्गत एक व्यक्ति द्वारा धारा 18 के अन्तर्गत वाद दायर किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा रु. 0.75 से बढ़ाकर प्रतिकर की धनराशि रु0 1.50 प्रति वर्गफुट कर दिया गया एवं अन्ततः यही दर पूरी योजना पर प्रभावी हुई एवं प्राधिकरण द्वारा इसी बढ़ी हुई दर से भुगतान किया गया। इसी प्रकार कानपुर रोड नगर प्रसाद योजना भाग-4 के अन्तर्गत कुछ वाद ही धारा 18 के अन्तर्गत दायर हुए थे, जिसमें घोषित अभिनिर्णय की दर रु0 1.72 से बढ़ाकर रु0 4.50 प्रति वर्गफुट निर्धारित कर दिया गया एवं कालान्तर में अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) के कार्यालय द्वारा धारा 28-ए के अन्तर्गत सम्पूर्ण योजना की भूमि पर लागू किया गया एवं इस योजना की लागत सम्पूर्ण भूमि हेतु अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) द्वारा लगभग रु0 14.00 करोड़ का प्रतिकर भुगतान किया गया।

इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में योजना के कुछ व्यक्तियों द्वारा धारा 18 के अन्तर्गत वाद दायर करने एवं निर्णय होने के उपरान्त उसका प्रभाव कालान्तर में पूरी योजना पर पड़ सकता है।

8. योजना में वाणिज्यिक भूमि तथा सुविधाओं हेतु भूमि का क्षेत्रफल कुछ क्षेत्रफल का क्रमशः लगभग 5 प्रतिशत व 3 प्रतिशत होता है एवं योजना में वाणिज्यिक भूमि का दर आवासीय का सामान्यतः दो गुना तथा सुविधाओं की भूमि का दर आवासीय दर से लगभग आधी रखी जाती है। उचित होगा कि इसी सिद्धान्त के आधार आवासीय तथा सुविधाओं

Sul

हेतु आवंटित भूमि की दर न्यूनतम रखते हुए वाणिज्यिक भूमि की दर प्रस्तावित की गयी है।


प्रस्ताव:

प्राधिकरण के समक्ष निम्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है:-

(क) न्यायालय द्वारा प्रतिकर की बढ़ायी गयी धनराशि के आधार पर पुराने आवंटियों से अन्तर की धनराशि (ब्याज सहित) निम्न दरों से वसूलने की कार्यवाही।

क्र. सं०	भूमि अजिन योजना का नाम	ल-आउट क अनुसार योजना	गणना क उपरान्त अतिरिक्त प्रतिकर की दर(₹ प्रव०फु०) (परिशिष्ट-3 का कालम-8)	वाणिज्यिक, आवासीय, सुविधाओं हेतु प्रस्तावित यदात्त दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)		
				वाणिज्यिक	आवासीय	सुविधाएं
1	2	3	4	5	6	7
1.	उजरियाय आवासीय योजना भाग-1	गोमती नगर योजना	24.78	50.00	25.00	12.50
	भाग-2		15.96	32.00	16.00	8.00
2.	कानपुर रोड योजना भाग-1	कानपुर रोड योजना	16.80	34.00	17.00	8.50
	भाग-2		12.60	26.00	13.00	6.50
	भाग-3		16.22	34.00	17.00	8.50
	भाग-4		19.58	40.00	20.00	10.00
4.	हरदोई रोड योजना	हरदोई रोड योजना	13.14	28.00	14.00	7.00
5.	सीतापुर रोड योजना	सीतापुर रोड योजना	17.36	36.00	18.00	9.00
6.	टिम्बर नगर योजना	प्रियदर्शनी योजना	27.66	56.00	28.00	14.00
7.	अल्तीगंज योजना	अल्तीगंज योजना	18.8	38.00	19.00	9.50

(ख) भविष्य में आवंटित होने वाली सम्पत्तियों में उपरोक्तानुसार अन्तर की धनराशि जोड़ते हुए दरों का पुनरीक्षण।



योजनाओं के क्षेत्रफल एवं अभिनिर्णय के अनुसार प्रतिकर का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	धारा-6 की तिथि (एकड़)	कब्जा का वर्ष	अभिनिर्णय घोषित क्षेत्रफल (एकड़ में)	एवार्ड के अनुसार निर्धारित प्रतिकर (रु० प्र०व०फु०)
1	2	3	4	5	6
1.	कानपुर रोड योजना भाग-1	20.11.76	1977	565.31	1.50
2.	कानपुर रोड योजना भाग-2	12.07.80	1980	450.94	2.25
3.	कानपुर रोड योजना भाग-3	17.12.84	1985-86	1289.30	1.72
4.	कानपुर रोड योजना भाग-4	27.06.86	1987	1266.10	1.72
5.	कानपुर रोड योजना भाग-5	20.10.87	1989	11.91	14.00
6.	सीतापुर रोड योजना	03.12.81	1984-85	1527.27	0.24
7.	टिम्बर नगर योजना	28.05.86	1986	121.87	2.02
8.	हरदोई रोड योजना	30.07.83	1987	1355.97	0.04
9.	उजरियाँव भाग-1	28.01.83	1983	941.10	1.41
10.	उजरियाँव भाग-2	04.12.84	1986-87	1776.02	0.85
11.	उजरियाँव भाग-3	30.12.92	1994-95	271.11	4.04
12.	उजरियाँव भाग-5	02.04.93	1994	122.53	4.69
13.	टिकैत राय योजना भाग-2	06.07.87	1987	32.32	4.50
14.	सलेज फार्म	हस्ता 1982	1982	982.00	1.82
15.	द्वितीय वाटर वर्क्स	02.06.87	1988	14.71	1.78
16.	भवानी योजना	06.02.86	1988	4.71	2.70
	योग	10738.17			

Sul

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-18 के अन्तर्गत लम्बित संदर्भों का विवरण

क्र.सं०	योजना का नाम	एवार्ड के अनुसार प्रतिकर (रु०प्र०व०फु०)	वादों की संख्या	निर्णित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या	जिसमें वादात्तर दाखिल किया जा चुका है	जिसमें वादात्तर दाखिल किया जाना है	निर्णय क अनुसार बढ़ी हुई प्रतिकर की दर(रु०प्र०व०फु०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ.	मा० नगर महापालिका न्यायाधिकरण:							
1.	अलीगंज योजना	0.75	144	97	47	47	-	1.50
2.	सीतापुर रोड योजना	0.24	200	6	194	100	94	1.85
3.	गोमती नगर भाग-1	1.41	200	5	195	70	125	4.10
4.	कानपुर रोड योजना-1,2,3,4	1.50,1.72,2.25	300	53	247	150	97	3.00,3.60,4.00,4.50
5.	हरदोई रोड योजना	0.04-0.18	200	4	196	60	136	4.60
6.	भवानी आवासीय योजना	2.70	1	-	1	1	-	-
	योग		1045	165	880	428	452	-
ब.	मा० जिला जज न्यायालय							
1.	गोमती नगर योजना भाग-2	0.85, 1.72	425	2	423	100	323	3.00
	कुल योग		1470	167	1303	528	775	-

भूमि-अर्जन अधिनियम, 1994 की धारा 28-ए के अन्तर्गत लम्बित संदर्भों का विवरण

क्र०सं०	योजना का नाम	वादों की संख्या	निर्णित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या	निर्णय के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में दायर वाद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	कानपुर रोड योजना भाग-1	113	1	112	1	रिट दायर की जा चुकी है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 19.04.96 को पारित किया जा चुका है।
2.	कानपुर रोड योजना भाग-4* (क्र०सं० 2 पर अंकित मामलों में मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किये जाने से पूर्व ही अपर जिलाधिकारी(भू०अ०) कार्यालय द्वारा बढ़ी हुई प्रतिकर की दर से योजना की लगभग पूरी भूमि हेतु लगभग ₹ 14 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।)	363	363	-	363	
3.	कानपुर रोड योजना भाग-3	6	1	5	1	स्थगन आदेश प्राप्त हो चुका है।
4.	सीतापुर रोड योजना	45	-	45	-	मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.96 को 2 वादों में स्थगनादेश पारित किया जा चुका है। अपील न करने का निर्णय लिया गया था।
5.	हरदोई रोड योजना	19	6	13	6	
6.	अलीगंज योजना	1	-	1	1	
	योग	547	371	176	371	

क्र० सं०	योजना का नाम	अभिनिर्णित दर (₹0प्र0व0फु0)	धारा-18/28-ए के अन्तर्गत बढ़ी (₹0प्र0व0फु0)	अन्तर की दर (₹0प्र0व0फु0)	सोलेशियम/अतिरिक्त प्रतिकर एवं व्याज (₹0प्र0व0फु0)	ल0वि0प्रा0 का प्रशासनिक (5%)सम्मिलित करके लागत (₹0प्र0व0फु0)	50% विक्री योग्य क्षेत्रफल मानकर बढ़ी हुई धनराशि (₹0प्र0व0फु0)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उजरियाँव आवासीय योजना						24.78
	भाग-1	1.41	4.10	2.70	11.80	12.39	15.96
	भाग-2	0.85	3.00	2.15	7.60	7.98	
2.	कानपुर रोड योजना						16.80
	भाग-1	1.50	3.00	1.50	8.00	8.40	12.60
	भाग-2	2.25	3.60	1.35	6.00	6.30	16.22
	भाग-3	1.72	4.00	2.28	7.72	8.11	19.58
	भाग-4	1.72	4.50	2.78	9.32	9.79	13.14
3.	हरदोई रोड योजना	0.04	4.60	4.54	6.26	6.57	17.34
4.	सीतापुर रोड योजना	0.24	1.85	1.61	8.27	8.68	27.66
5.	टिम्बर नगर योजना	2.02	6.00	3.98	13.17	13.83	18.58
6.	अलीगंज योजना	0.75	1.50	0.75	8.85	9.29	

SAL

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध व्यवसायिक सिनेमा हाल, सामुदायिक सुविधायें जैसे बरातघर, गेस्ट हाउस आदि हेतु भूखण्ड आवंटन की नियम एवं शर्तों पूर्व में वर्ष 1996 में तैयार की गयी थी। संलग्नक-2 संक्षेप में पूर्व नियम एवं शर्तों का विवरण निम्न प्रकार है:-

नीलामी के साथ बिल्डर्स को कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करना होता था तथा 15 प्रतिशत धनराशि नीलामी स्वीकृति की तिथि से 30 दिन के अन्दर तथा 75 प्रतिशत धनराशि 2 वर्ष की समान त्रैमासिक किश्तों में जमा करने की व्यवस्था थी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त भूखण्ड का अनुबन्ध करते हुए बिल्डर्स को भूखण्ड का कब्जा दिया जाता था तथा उसके उपरान्त बिल्डर्स को मानचित्र स्वीकृत कराना होता था और मानचित्र स्वीकृत होने तथा उससे आगे की कोई किश्तें प्राप्त नहीं की जाती थी। कालान्तर में इसके दुष्परिणाम प्राप्त हुए हैं और बहुधा यह देखा गया है कि बिल्डर्स येन-केन प्रकारेण 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर लेते हैं और आवंटित भूखण्ड पर अपनी यूनिट्स बनाकर जनता को बेचते हैं और लाभ कमाते हैं और प्राधिकरण को मूल धन का भी भुगतान नहीं करते हैं, अतएव अध्यक्ष लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन नियम एवं शर्तों में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता व्यक्त की गयी थी जिससे विकास प्राधिकरण को भूखण्ड का पूर्ण मूल्य प्राप्त होने के पश्चात् बिल्डर्स इस पर अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर सकें। इसी क्रम में पूर्व नियम एवं शर्तों को संशोधित करते हुए नियम एवं शर्तें तैयार की गयी हैं, जो दायीं ओर संलग्न हैं। इन नियम एवं शर्तों पर सी0एफ0ए0 की राय प्राप्त की गयी है तथा विधिक दृष्टि से इसका परीक्षण अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द्रा॥ओमजी॥ से कराया गया है।

अतएव प्रस्ताव है कि कृपया दायीं ओर संलग्न नियम एवं शर्तों का अनुमोदन प्रदान कर दिया जाय।

6. निबन्धन का निष्पादन तथा भूखण्ड का कब्जा:-

पूर्ण धनराशि प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निबन्धन निष्पादित करना होगा, जिसका तमाम व्यय सीमित तैरथा द्वारा वहन किया जायेगा। निबन्धन निष्पादन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर भूखण्ड का कब्जा लेना होगा। यदि असीमा अवधि में कब्जा नहीं लिया जाता है तो निबन्धन निष्पादन की तिथि से 30 दिनों के

पश्चात् की असीमा तिथि पर ही तिथि लागू की जायेगी। *अधिकृत की ओर से कब्जा लेना ही ठीक है वरना भूखण्ड का कब्जा नहीं लेना।*

7. भूखण्ड पर निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति:-

सम्पूर्ण भूगतान एवं निबन्धन के पश्चात् ही मानचित्र स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. निर्माण की अवधि:-

आर्थात्त भूमि में निबन्धन निष्पादन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा 2 वर्ष के अन्दर कार्य समाप्त करना होगा, यदि अपरिहार्य कारणों से निर्माण कार्य 2 वर्ष में समाप्त नहीं होता है तो उचित कारणों के आधार पर तमाम वृद्धि उपाध्यक्ष लॉचिप्रोटो द्वारा की जा सकती है।

9. विकास सुविधायें:-

9/25/16, रेल. मार्ग असीमा, धनी एन. सि.पी. के अतिरिक्त लॉचिप्रोटो द्वारा अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

10. आकर स्वीकृति का अधिकार:-

किसी भी आकर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष लॉचिप्रोटो का होगा।

11. भूमि "पैती है, जहां है" के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी।

12. किसी भी विवाद की क्सा में उपाध्यक्ष लॉचिप्रोटो का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

*As per villed as per map made
Chand
2012*

- 13. शर्तों में लंबाई/परिचयन/परिचयन/अनुपन्ध/निबन्धन को निरूपित करते समय का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष लॉचिंग्टो का होगा।
- 14. भूमि का बंटवारा/सफोट/हस्तान्तरण

भूमि का बंटवारा, सफोट करने तथा हस्तान्तरित करने का अधिकार ^{अनुपन्ध/निबन्धन} को नहीं होगा।

15. निर्दिष्ट उपयोग:-

आवंटित भूमि का उपयोग केवल निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु ही किया जा सकेगा। निर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपयोग नहीं होगा।

16. अन्य शर्तें:-

- क) किसी भी विवाद की दशा में विवाद का परिष्कार तब तक होगा।
- ख) उपरोक्त निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग इस प्रकार किया जाय कि आस-पड़ोस वालों को कोई असुविधा न हो।
- ग) यदि निर्दिष्ट उपयोग के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग किया जाता है तो उपाध्यक्ष, लॉचिंग्टो को आवंटन/निबन्धन निरस्त करने तथा जमा धनराशि जमा करने का पूर्ण अधिकार होगा।

As per connection
Subul

शुभ
 सचिव

अनुमोदित

अध्यक्ष
 लॉचिंग्टो

उपाध्यक्ष



व्यवसायिक भूखण्ड की नीलामी की सामान्य शर्तें

दिनांक 20-4-96 से प्रभावी

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

व्यवसायिक भूखण्ड की नीलामी की सामान्य शर्तें

- 1- न्यूनतम आरक्षित मूल्य :
नीलाम किये जाने वाले व्यवसायिक/भूखण्ड का न्यूनतम आरक्षित मूल्य विज्ञापन सूचना में अंकित किया जायेगा। जिसके आधार पर नीलाम की कार्यवाही की जायेगी।
- 2- टोकन नती जमा करना :
नीलाम में केवल टोकन धारक ही भाग ले सकेंगे। वह टोकन लखनऊ विकास प्राधिकरण के कोषागार में रु० 25,000/- नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम देय हो, जमा करके नीलामी में भाग ले सकेंगे।
- 3- चुगतान की पद्धति :
 1. रु० 25.00 लाख न्यूनतम आरक्षित मूल्य तक
 - (क) सर्वोच्च बोली की 10% धनराशि (अर्नेस्ट धनराशि) हथौड़ा गिरने पर।
 - (ख) सर्वोच्च बोली की 15% धनराशि नीलाम की तिथि से 30 दिनों के अन्दर।
 - (ग) शेष 75% धनराशि बोली स्वीकृति से सम्बन्धित पत्र निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर।
 2. रु० 25.00 लाख से अधिक न्यूनतम आरक्षित मूल्य होने पर
 - (क) सर्वोच्च बोली की 10% धनराशि (अर्नेस्ट धनराशि) हथौड़ा गिरने पर।
 - (ख) सर्वोच्च बोली की 15% धनराशि निम्नप्रकार जमा करनी होगी :-

बिना हथौड़े नहीं

- (1) सर्वोच्च बोली की स्वीकृति पत्र (लीज प्लान सहित) निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विलम्ब द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। यदि विलम्ब किया जाता है तो प्रतिदिन विलम्ब पर रूपया 1,000/- दण्ड शुल्क देना होगा। जो टोकेन मनी/अर्नेस्ट मनी से भी काटा जा सकेगा। शेष टोकेन मनी/अर्नेस्ट मनी मूल्य में समायोजित की जा सकेगी। परन्तु 15 दिन से अधिक के विलम्ब पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे तथा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ले।
- (2) नक्शा प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर नक्शों की जांच की जायेगी। यह जांच एक समिति द्वारा की जायेगी। जिसमें सर्वोच्च बोली दाता का भी एक प्रतिनिधि रह सकता है। जांच करने के पश्चात् यदि कोई कनिष्ठां हों या कोई आपत्ति हो तो उस प्रतिनिधि को उसी समय नोट करा दी जायेगी और एक रजिस्टर्ड पत्र उसी दिन अथवा अगले दिन निर्गत कर दिया जायेगा।
- (3) आपत्तियों का निराकरण बैठक की तिथि अथवा पत्र निर्गत होने की तिथि जो भी बाद में हो, से 15 दिनों में विलडर द्वारा किया जायेगा। आपत्तियों का निराकरण होने के पश्चात् अगले 15 दिनों में नक्शे अन्तिम रूप से स्वीकृत हेतु तैयार होगा और 15 वें दिन 15% धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर देने के अनुरोध की कार्यवाही पूर्ण कराने के पश्चात् भवन मानचित्र की स्वीकृत जारी कर दी जायेगी।---
- (4) प्रस्तर (3) पर उल्लिखित आपत्तियों के निराकरण में अथवा 15% धनराशि जमा करने में विलम्ब करने पर प्रतिदिन के विलम्ब पर रू0 1000/- प्रतिदिन अर्धदण्ड लगेगा। जो टोकेन मनी/अर्नेस्ट मनी से काटा जा सकेगा। अवशेष टोकेन मनी/अर्नेस्ट मनी मूल्य में समायोजित की जा सकेगी। 15 दिनों से अधिक के विलम्ब पर उपाध्यक्ष को अधिकार होगा कि आवंटन निरस्त कर दे तथा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ले।
- (5) यदि कोई आवंटी पूरी धनराशि-नीलामी की स्वीकृत सम्बंधी पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर जमा कर देता है तो उसे पूर्ण मूल्य में 2% की छूट दी जायेगी।
- (ग) शेष 75% धनराशि दो वर्षों में आठ त्रैमासिक किश्तों में 21% वार्षिक व्याज सहित ली जायेगी।

4- अतिरिक्त ब्याज/निरस्तीकरण :

- (1) यदि उपरोक्तानुसार 15% धनराशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं की जाती है तो बोली/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा 10% धनराशि (अर्नेस्ट धनराशि) जब्त कर ली जायेगी।
- (2) यदि उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक त्रैमासिक किश्तें जमा नहीं की जाती हैं तो 24% वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा परन्तु 3 माह के विलम्ब के उपरान्त आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा प्राधिकृत अधिकारी को होगा। निरस्तीकरण की दशा में जमा 10% धनराशि (अर्नेस्ट धनराशि) जब्त कर ली जायेगी।

5- बाह्य विकास कार्य :

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा केवल बाह्य विकास सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। जिसमें बाह्य सड़क का निर्माण बाह्य सीवर तथा एस0 डब्ल्यू0 ड्रेन का कार्य सम्मिलित है। विद्युत का सोर्स लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा ट्रांसफार्मर आवंटी को लगाना होगा।

6- भूखण्ड का कब्जा :

1. यदि नीलाम किये जाने वाले व्यवसायिक भूखण्ड का न्यूनतम आरक्षित मूल्य रु० 25.00 लाख तक है तो नीलाम किये जाने वाले भूखण्ड का कब्जा पूर्ण धनराशि प्राप्त होने तथा रजिस्ट्री के पश्चात् किया जायेगा।
2. यदि नीलाम किये जाने वाले भूखण्ड का आरक्षित मूल्य रु० 25.00 लाख से अधिक है तो स्वीकृति बोली का 25% अथवा रु० 25.00 लाख, जो भी अधिक हो, प्राप्त होने के पश्चात् तथा औपचारिकतायें जिसमें अनुबन्ध, निष्पादन भी सम्मिलित है, पूर्ण होने के पश्चात् भूखण्ड का कब्जा दे दिया जायेगा। पूर्ण धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् रजिस्ट्री की जायेगी।

3. उपरोक्त क्रम सं० 1 के अनुसार रजिस्ट्री हो जाने के पश्चात् रजिस्ट्री की तिथि से एक माह के अन्दर भूखण्ड का कब्जा आवंटी को लेना होगा। यदि आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया जाता है तो कब्जे की तिथि रजिस्ट्री की तिथि से एक माह के पश्चात् की तिथि से मान ली जायेगी तथा उक्त तिथि से 24% वार्षिक अतिरिक्त ब्याज आवंटी द्वारा देय होगा।

यदि अपरिहार्य कारणवश लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं हो पाता है तो उपरोक्त 24% वार्षिक ब्याज आवंटी द्वारा देय नहीं होगा।

7- भूखण्ड पर निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति :

7.1 उपरोक्त क्रम सं० 6.1 के अनुसार रजिस्ट्री निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर तथा उपरोक्त क्रम सं० 6.2 के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर निम्न अभिलेख भवन विभाग को प्रस्तुत करने होंगे।

(क) भू-विन्यास

(ख) भवन चित्र

(ग) विस्तृत डिजाइन, स्ट्रक्चर सहित तथा स्पेशीफिकेशन्स।

7.2 उपरोक्त को प्रस्तुत करते समय महायोजना के प्राविधानों का पालन किया जायेगा।

8- भू-विन्यास मानचित्र की स्वीकृति

आवश्यक जाँच के पश्चात् भू-विन्यास/भवन चित्र प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर लखनऊ विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति कर दिया जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि वांछित अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवंटी द्वारा मानचित्र के साथ संलग्न किये गये हैं। परन्तु 90 दिन की गणना में वह

(ग) शेष 75% धनराशि दो वर्षों में आठ त्रमासिक ...

समय सम्मिलित नहीं होगा जो आवेदक द्वारा आपत्तियों के निराकरण में लगाया जायेगा। यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से मानचित्र स्वीकृति होने में उपरोक्त सभी प्रपत्र प्राप्त होने के पश्चात् भी विलम्ब किया जाता है तो आगामी किश्त की देय तिथि मानचित्र स्वीकृति होने की तिथि से 15 दिन पूर्ण होने की तिथि से पूर्व देय होगी। तदनुसार ही त्रैमासिक किश्तें देय होंगी।

9- भूखण्ड पर निर्माण की अवधि :

व्यवसायिक भूखण्डों पर निर्माण की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। जिसमें विशेष अथवा स्वीकार्य कारण सहित आवेदन करने पर सहमत होने की दशा में उपाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेकानुसार निम्नवत् अनिर्माण शुल्क लेकर समयवृद्धि दे सकेंगे :-

छठे वर्ष	5% (भूमि मूल्य का)
सातवें वर्ष	10% (भूमि मूल्य का)
आठवें वर्ष	15% (भूमि मूल्य का)
नवें वर्ष	20% (भूमि मूल्य का)
दसवें वर्ष	30% (भूमि मूल्य का)

विक्रय के लिए नहीं

10 वर्ष के बाद कोई समयवृद्धि देय नहीं होगी तथा भूखण्ड निरस्त करके प्राधिकरण में निहित हो जायेगा।

10- भूखण्ड का बंटवारा :

10.1 भूखण्ड का बंटवारा करने का अधिकार न होगा। इसका तात्पर्य यह है कि आवंटी भूखण्ड को सब-लेट नहीं कर सकता है परन्तु आवंटी विभिन्न आकार की दुकानें तथा कार्यालय क्षेत्रफल निर्मित करके विक्रय कर सकता है।

10.2 यदि यह पाया जाता है कि आवंटी ने भूखण्ड को सबलेट किया है तो उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास

प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दें तथा भूखण्ड पर पुनः कब्जा कर लें। इस अतिरिक्त यदि अन्य कोई कार्यवाही आवश्यक हो तो वह भी कर लें।

11- पट्टे का किराया :

सर्वोच्च बोली के अनुसार धनराशि पर एक प्रतिशत वार्षिक की दर से पट्टे का किराया देय होगा रजिस्ट्री/अनुबन्ध से 10 वर्ष का एक मुश्त पट्टे का किराया देय होगा। जो लीज की पूरी अवधि अर्थात् 5 वर्ष के लिये प्रीपेड माना जायेगा।

12- नीलाम की गई सम्पत्ति में बिल्डर द्वारा पंजीकरण खोला जाना :

- 1 यदि नीलाम की गई सम्पत्ति का न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 25.00 लाख तक है तो रजिस्ट्री हे तथा सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने के पश्चात् ही बिल्डर द्वारा पंजीकरण खोला जायेगा।
2. यदि न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 25.00 लाख से अधिक है तो अनुबन्ध होने तथा कब्जा प्राप्त कि जाने के पश्चात् ही बिल्डर द्वारा पंजीकरण खोला जायेगा।

13- भूखण्ड का विक्रय :

यदि आवंटित भूखण्ड की रजिस्ट्री किये जाने के पश्चात् आवंटी द्वारा भूखण्ड का विक्रय किया जाता है त ऐसी दशा में 40% लाभांश भी देय होगा। विक्रय की अनुमति दिये जाने के समय उस क्षेत्र की जो व्यवसायिक दर होगी, उसमें से क्रय मूल्य घटाकर अवशेष धनराशि का 40% लाभांश लिया जायेगा।

14- एक मुश्त भुगतान की दशा में छूट :

शर्तों की क्रम सं0 3.2 के अनुसार यदि शेष 75% धनराशि भी सर्वोच्च बोली की स्तीकृति पत्र निर्गमन के

तिथि से 90 दिनों के अन्दर जमा कर दी जाती है तो कुल मूल्य में 2% की छूट दी जायेगी।

15- बन्धक रखने का अधिकार :

रजिस्ट्री होने के पूर्व सम्पत्ति लखनऊ विकास प्राधिकरण की रहेगी। जिसे बन्धक रखने का अधिकार आवंटी को नहीं होगा। परन्तु पूर्ण भुगतान करने तथा रजिस्ट्री कराने के पश्चात् ही बन्धक रखने का अधिकार आवंटी को प्राप्त होगा।

16- बोली स्वीकृति का अधिकार :

किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा प्राधिकृत अधिकारी को होगा। किसी भी विवाद की दशा में अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

17- देय धनराशि की वसूली :

अन्य किसी विकल्प के रहते हुए भी, देय बकाया धनराशि को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत भूराजस्व अवशेष की भांति वसूल करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा। जिसके सम्बन्ध में होने वाले व्यय का भी आवंटी को ही भुगतान करना होगा।

18- निर्दिष्ट उपयोग :

व्यवसायिक भूखण्ड जिस उद्देश्य के लिये आवंटित किया जायेगा, उस भूखण्ड पर निर्मित भवन का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिये किया जायेगा। यदि अन्यथा उपयोग पाया जाता है तो हरजाना वसूल करने अथवा आवंटन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को होगा।

19- आर्बीट्रेशन :

यदि आवंटी तथा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो विवाद के सम्बन्ध में अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य होगा तथा दोनों ही पक्षों को उसे मानना होगा।


20- कानूनी क्षेत्र :

उपरोक्त से सम्बन्धित सभी मामले दीवानी न्यायालय लखनऊ की परिधि में ही आयेंगे।

21- उपरोक्त शर्तों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को होगा। अनुबन्ध तथा रजिस्ट्री पेपर्स में और शर्तें बढ़ाने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को होगा।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

70



मुद्रक :- राम प्रिंटिंग प्रेस फोन : 272048



लखनऊ विकास प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ

मूल्य रु० 50/-

विषय: गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में लखनऊ हास्पिटल प्रा0 लि0 एवं स्कोर्ट हास्पिटल द्वारा आवंटित 2.5 एकड़ एवं 4 एकड़ भूमि के भू-प्रयोग परिवर्तन के संबंध में विचारार्थ

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.5.2000 के विषय संख्या: 18 के अर्न्तगत गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान से संलग्न 7.556 एकड़ भूमि के भू-प्रयोग को "इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान" से अस्पताल में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि में से 3 एकड़ भूमि "न्यूरो साइन्स सेन्टर" तथा 4.56 एकड़ भूमि " स्कोर्ट हास्पिटल" को दिया जाना प्रस्तावित था। यह भूमि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की भूमि के पीछे के तरफ 30 मी0 रोड पर स्थित थी। (कृपया मानचित्र अनुलग्नक-1 पर देखें) प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था, फलस्वरूप शासन को भू-प्रयोग परिवर्तन के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या: मेमो/सी0टी0पी0/2000 दिनांक 22.7.2000 के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अधिसूचना संख्या: 2502/9-आ-3-2000-08एल0यू0सी0/97 दिनांक 9.8.2000 द्वारा उक्त भू-प्रयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर जन साधारण से आपत्तियां प्राप्त करने हेतु उक्त को समाचार पत्र में प्रकाशन कराने के निर्देश दिये गये। उक्त क्रम में अधिसूचना को दिनांक 20.8.2000 के "दैनिक जागरण" तथा "पायनियर" के संस्करण में प्रकाशित कराया गया।


बाद में पक्ष में अनुरोध पर शासनादेश संख्या: 5176/9-आ-1-2000-211/डी0ए0/1995 दिनांक 12.12.2000 (अनुलग्नक-2) द्वारा शासन में गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान से लगी हुई 6.5 एकड़ भूमि को प्रतिष्ठान की भूमि में शिफ्ट करते हुए इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान को आरक्षित भूमि में से (18 मी0 चौड़ी सड़क पर) लखनऊ हास्पिटल प्रा0लि0 को 2.5 एकड़ भूमि एवं स्कार्ट हास्पिटल को 4.00 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की भूमि में से शिफ्ट कर आवंटित की जाने वाली उक्त 6.5 एकड़ भूमि के स्थान पर प्राधिकरण की 6.5 एकड़ भूमि प्रतिष्ठान को दी जायेगी।

लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना 2001 में उपर्युक्त शासनादेश द्वारा लखनऊ हास्पिटल प्रा0 लि0 तथा स्कार्ट हास्पिटल को आवंटित कुल 6.5 एकड़ भूमि का भू-प्रयोग "इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान" है। अतः प्रश्नगत भू-प्रयोग को "अस्पताल" में परिवर्तित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुमानक-1

AMBEDKAR PARK

72



NOTE: THIS DRAWING HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF SURVEY GIVEN BY E-E-ZONE-2.

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
 SITE PLAN OF LAND
 NEAR INDIRA GANDHI PRATISHTHAN
 SHOWING LAND PROPOSED
 FOR HOSPITALS:

DATE: 12 MAY 2000
 ORG. NO. SP/INDRGA/TH/PW
 DEALT BY: JASWINDER

ANITA SRI. G.P. SRIVASTAVA DIRECTOR

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उपायुक्त,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

आयतन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक-12 दिसम्बर, 2000

विषय :- लखनऊ हास्पिटल प्राइवेट लि एवं स्काट हास्पिटल हेतु भूमि के आसंटन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अधिसूचना संख्यांक-26/अपत/सी०/नवीन गवर्न, दिनांक-18.11.2000 के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का विवेक हुआ है कि नौनवी नगर योजना के विपिन खण्ड में इन्दिरा-गाँधी प्रतिष्ठान से लगी हुई प्राधिकरण की 6.5 एकड़ भूमि को इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान की भूमि में क्षिप्त करते हुए इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान की आरक्षित भूमि में से 1.18 मीटर चौड़ी सड़क पर लखनऊ हास्पिटल प्राइवेट लि को 2.5 एकड़ एवं स्काट हास्पिटल को 4.00 एकड़ भूमि आसंटित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का विवेक हुआ है कि इन्दिरा-गाँधी प्रतिष्ठान की भूमि में से क्षिप्त कर आसंटित की जाने वाली उक्त 6.5 एकड़ भूमि के स्थाव पर प्राधिकरण की 6.5 एकड़ भूमि प्रतिष्ठान को दी जायेगी ।

(Handwritten signature)
14/12

भवदीय,

आनन्द कुमार ।
अनु सचिव।

संख्या-5176/11/9-अ-1-2000, नई दिनांक ।

प्रतिनिधि विनियमित को प्रस्ताव प्रेषित :-
S/O डी००० ठाकुर, सी०, नवीन गाँधी पोस्ट मेजपट इन्टरटी ह्यूट
आफ मेडिकल कार्डिअर, राजपरेती रोड, लखनऊ ।
S/O पी०००० पुरी, स्काट हास्पिटल इन्टरटी ह्यूट एवं रिजर्व सेक्टर,
मीनवा रोड, नई दिल्ली -110025

आगत से,

आनन्द कुमार ।
अनु सचिव।

AMBEDKAR PARK

LAND ALLOTTED TO
SOFTWARE TECHNOLOGY PARK
[151.80M X 80.00M]
APPROX. 3.00 Ac.

PROP. LAND FOR
LUCKNOW HOSPITAL
[121.25 M X 84.0M]
APPROX. 2.50 Ac.

PROP. LAND FOR
ESCORTS HOSPITAL
[121.25 M X 133.00 M]
APPROX. 4.00 Ac.

PROP. AREA FOR
INDIRA GANDHI PRATISHTAN
APPROX. 22.00 Ac.

KUKKRAIL NALA

18.00 METRE WIDE ROAD

30.00 METRE WIDE ROAD

BHAGIDARI BHAWAN

विषय संख्या : 8

पृष्ठ संख्या : 75

विषय : मनोरंजन भू-प्रयोग के अन्तर्गत विभिन्न खेल एकाडमीज़ को भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. का निर्धारण ।

शासनादेश संख्या : १५९९/९-आ-३-२०००-५-एल.ए./२००० दिनांक ३०.५.२०००(अनुलग्नक-१) द्वारा शासन ने मनोरंजन भू-प्रयोग हेतु निर्धारित भूमि पर खेल एकाडमीज़ को दी जाने वाली भूमि हेतु भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के निर्धारण के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव ग्राम्य नगर नियोजन विभाग के परामर्श से बनाकर शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक द्वारा पत्र संख्या : १९३८/न.नियो.(२) मिस/टेक/२०००-२००१ दिनांक १५.९.२००० द्वारा विभिन्न खेल एकाडमीज़ को मनोरंजनात्मक भू-प्रयोग के अन्तर्गत भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गई है जो कि अनुलग्नक-२ पर अवलोकनार्थ अवस्थित है। मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक से प्राप्त उपर्युक्त आख्या को शासन को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुक्रमांक-1 76



आवात अनुभाग-3
भारत सरकार
लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2000

जावेद रहतेगाम,
उम तखिम ।

604/8/VC
31.05.2000

प्रिय महोदय,

कुम्हा नोभती नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न खण्ड में स्थित अनोरंजनात्मक इस्तेमाल हेतु निर्धारित भूमि में से 10 एकड़ भूमि बैडमिन्टन स्टेडमी को उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्धित भू-उपयोग के लिए भू-आच्छादन तथा स्फोरुआरु के तन्बन्ध में निर्देश दिये जाने विषयक अपने अर्थ शासकीय पत्र संख्या-478/तीटीपी/बीटी/कम्प, दिनांक 6 मई, 2000 का तदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस तन्बन्ध में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि महायोजना प्राधिकरण द्वारा बनायी जाती है और यदि महायोजना में अनोरंजन के इस्तेमाल हेतु निर्धारित भूमि पर भू-आच्छादन तथा स्फोरुआरु की अनुमन्वता के सिद्ध में व्योरा नहीं दिया गया है तो आप कुम्हा प्राधिकरण की ओर/एक प्रतलाव नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के परामर्श ले कर शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि शासन तदुपर विचार कर प्रकरण में त्वीकृत प्रदान की जा सके ।

भवदीय,

। जावेद रहतेगाम ।

श्री दिवाकर त्रिपाठी,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

श्री दिवाकर त्रिपाठी
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

श्री दिवाकर त्रिपाठी
नियोजक

01/06/2000
(प्रा. प्र. जावेद)
लखनऊ विकास प्राधिकरण

168/CTP/2000

5-6-2000

अनुदान क्र 2

225073

पान : 213358

222514

नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

77

7, बन्यारिया बाग, लखनऊ-226001

पत्र संख्या 1938/न. नि. 2/मितलेनियत/टे50/2000-2001

दिनांक 11 अक्टूबर 2000

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
6, जगदीश चन्द्र दत्त मार्ग,
लखनऊ।

विषय:- विभिन्न खेलकूद अकाडमीज को भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 620/हीटीपी/वीसी/2000 दिनांक 14.8.2000 का तन्वय नष्ट करने का कष्ट करें। लखनऊ महापोजना में प्रस्तावित मनोरंजनात्मक भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने वाले उपयोगों हेतु भू-आच्छादन एवं रफ. र.आर के तन्वय में आख्या निम्नवत है :-

1- महापोजना में प्रस्तावित मनोरंजनात्मक भू-उपयोग के अन्तर्गत मात्र इन स्थानों के अनुषांगिक भवन/निर्माण ही अनुमन्य है। इन स्थलों का मूल उद्देश्य खेल कूद के साथ नगर में ऐसे स्थलों की समुचित शारीरिक तथा मानसिक विकास एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु सुरक्षित रखना है।

2- जहाँ तक खेल कूद अकाडमीज को भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है के तन्वय में अवगत कराना है कि यदि ऐसे क्लबा-कलापों को प्रस्तावित सभी पार्कों ब्रीडास्थलों में अनुमन्य किया जाता है तो नगर के आन्तरिक क्षेत्रों में स्थित विभिन्न पार्कों पर इन प्रकार के जार्व-कलापों हेतु दबाव बढ़ेगा तथा इन प्रवृत्ति से नगरीय क्षेत्र में स्थित ऐसे स्थलों पर विकास एवं निर्माण कार्यों का दबाव बढ़ेगा।

3- खेलकूद अकाडमीज को मनोरंजनात्मक भू-उपयोग में निम्न प्रतिबन्धों सहित अनुमन्य किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

4- खेलकूद अकाडमीज को भूमि केवल उन्हीं प्रस्तावित क्षेत्रीय पार्क/डिस्ट्रिक्ट पार्क में आवंटित की जाय जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर से कम न हो।

5- किसी भी डिस्ट्रिक्ट पार्क/क्षेत्रीय पार्क में एक से अधिक अकाडमी को भूमि आवंटित न की जाय।

6- खेलकूद अकाडमी को डिस्ट्रिक्ट पार्क/क्षेत्रीय पार्क के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 10 प्रतिशत या 5 हेक्टेयर दोनों में से जो भी कम हो, तक ही भूमि आवंटित की जायगी।

790/ATP/18
11-10-2000

6172/4
25/9/00

200/c-11/2000
10.10.2000

अ. 64 न. 10
नियोजक

10

25/2000
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण


ATP (R)
11/10/2000

11/10/2000
11/10/2000

-2-

7- केलडूद अकाडमीच जो आर्वंयित भूमि पर 10 प्रतिशत
अधिकतम मू-आच्छादन तथा 0.2 तज धनानुपात § रफ.र.आर. §
अनुमन्य किया जाय ।

भवदीय,



§ यशवीर सिंह चौहान §
मुख्य नगर स्व ग्राम नियोजक ।

दिनांक 1.1.96 से पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों को शासनादेश सं० सा-1721/दस-308/97 दिनांक 23 दिसम्बर 1997 के अनुसार पुनरीक्षित दर पर पेन्शन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव

वेतन सामात उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1.1.96 से पूर्व सेवा निवृत्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेन्शन का पुनरीक्षण हेतु विभाग के शासनादेश संख्या - सा-3-1721/दस-308/97 दिनांक 23.12.97 के द्वारा किया जा चुका है । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वेतन समिति उ०प्र० 1997 की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 1.1.96 के उपरान्त सेवा निवृत्त कर्मचारियों के नये वेतनमान होने के पश्चात पेन्शन का भुगतान किया जा रहा है तथा न्यूनतम पेन्शन रु० 1275/- का भुगतान भी किया जा रहा है । इस प्रस्ताव को स्वीकृति दिनांक 8.3.99 को प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में विषय सं० 28 के अन्तर्गत दी जा चुकी है । वर्तमान में वेतन समिति उ०प्र० 1997 की संस्तुतियों के आधार पर शासनादेश संख्या सा-3/1721/दस-308/97 दिनांक 23.12.97 के अन्तर्गत दिनांक 1.1.96 के पूर्व सेवा निवृत्त प्राधिकरण कर्मचारियों को पेन्शन पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है ।

S/lee

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग—3
संख्या-सा-3-1721/दस-308/97
दिनांक 23 दिसम्बर, 1997

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :-वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/ पुनरीक्षण ।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त सभी सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निम्न आदेश प्रदान किए हैं ।

2—यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश तिवरलाइज्ड पेंशन क्लब 1961, उत्तर प्रदेश रियायरमेन्ट बेनोफिट क्लब 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 8-8-1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू सम्झे जायेगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू सम्झे जायेगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के शैवकों पर लागू नहीं होगी।

3—इन आदेशों के अन्तर्गत—

- (क) "वर्तमान पेंशनर" अथवा "पारिवारिक पेंशनर" का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31-12-1995 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन आकार का खर्च या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे ।
- (ख) "वर्तमान पेंशन" का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो 31-12-1995 को देय थी, से है । पेंशन में वे सभी श्रेणी की पेंशन सम्मिलित है जिनका उल्लेख ऊपर प्रसार-2 में किया गया है ।
- (ग) "वर्तमान पारिवारिक पेंशन" का तात्पर्य उन मूल पारिवारिक पेंशन से है जो नए पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के अधीन शासनादेश संख्या-सा 3-657/दस-900/78, दिनांक 10-5-1978 अथवा शासनादेश संख्या-सा 3-156/दस-921/81, दिनांक 3-11-1981 में उल्लिखित दायें पर, दिनांक 31-12-95 को अथवा शासनादेश संख्या सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 8-8-1986 से विनियमित पारिवारिक पेंशनरों को 31-12-95 को अनुमन्य थी ।
- (घ) "वर्तमान मंहगाई राहत" का तात्पर्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 1510 मूल्य सूचकांक के बराबर मिल रही राहत से है ।

4—(1) ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो दिनांक 1-1-1996 के पूर्व से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, का समेकन दिनांक 1-1-1996 से निम्नलिखित धनराशियों को सम्मिलित करके किया जायेगा :—

- (I) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन,
- (II) वर्तमान मंहगाई राहत जैसा कि मंहगाई के 1510 मूल्य सूचकांक अर्थात् 143%, 111% एवं 96% जैसी भी स्थिति हो, के बराबर स्वीकृत,
- (III) अन्तरिम राहत प्रथम किश्त,
- (IV) अन्तरिम राहत द्वितीय किश्त,
- (V) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 40% अतिरिक्त जोड़कर ।

उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित धनराशि 1-1-1996 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन सम्झी जायेगी । इस प्रकार पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अधिकतम धनराशि की सीमा रुपया 4500/- एवं रुपया 1250/- प्रतिमाह से बढ़ाकर क्रमशः राज्य सरकार के अधिकतम वेतन का 50% एवं 30% कर दी गई है । चूंकि उपरोक्तानुसार आगणित समेकित पेंशन में पेंशन का राशिकृत भाग सम्मिलित होगा, अतः पेंशन का भासिक नियमित भुगतान करते समय पेंशन के सम्बन्धित राशिकृत भाग को पेंशन की धनराशि से घटा दिया जायेगा ।

4—(2) ऐसे वर्तमान पेंशनर जो 31-3-1985 और 31-12-1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें वैयक्तिक पेंशन से की गयी हो, के मामलों में वैयक्तिक पेंशन पृथक से अनुमन्य होगी और ऐसी वैयक्तिक पेंशन को उपरोक्तानुसार पेंशन का भाग माना जाने हेतु समेकित नहीं किया जायेगा।

4—(3) चूंकि उपरोक्त प्रस्तर-4 (1) में किए गए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समेकन में महंगाई के 1510 अंशत मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई राहत को सम्मिलित कर लिया गया है अतः 1-1-1996 के उपरान्त 1510 अंशत मूल्य सूचकांक के आगे महंगाई के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नई मॉडि के अधीन (अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं) महंगाई राहत अनुमन्य होगी। महंगाई राहत की जो किश्तें शासनदेश संख्या सा-3-1206/दस-301/96, दिनांक 22-10-1996 एवं शासनदेश संख्या सा-3-111/दस-301/97, दिनांक 1-5-1997 से क्रमशः दिनांक 1-7-1996 से एवं 1-1-1997 से स्वीकृत की जा चुकी है, को समायोजित कर लिया जाएगा।

4—(4) शासनदेश संख्या सा-3-300/आई०-21/दस-901/94, दिनांक 22-10-1996 के अधीन स्वीकृत अन्तरिम सहायता की तीसरी किश्त की धनराशि उपरोक्त प्रस्तर-4 (1) के अनुसार समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उस पर अनुमन्य महंगाई राहत की धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी।

5—(1) जिन मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन उपरोक्त प्रस्तर-4 (1) की व्यवस्था के अनुसार किए जाने के उपरान्त भी समेकित धनराशि रुपये 1275/- से कम आती है उनमें इस प्रकार वृद्धि कर दी जाए कि न्यूनतम धनराशि रुपये 1275/- की सीमा तक हो जाए। इस प्रकार आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनांक 1-1-1996 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन मानी जायेगी। जिन पेंशनरों को एक से अधिक पेंशने मिल रही हैं, उनकी सभी पेंशनों का योग लेते हुए न्यूनतम पेंशन रुपये 1275/- निर्धारित की जाएगी।

5—(2) जिन प्रकारों में असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन अशक्तता पेंशन सिविल अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त मिल रही है उनमें दोनों पेंशनों के योग को न्यूनतम सीमा रुपये 1275/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी। जिन प्रकारों में योग्य शत-प्रतिशत अशक्तता के आधार पर पेंशन स्वीकृत की गई है, उनमें पेंशन की न्यूनतम धनराशि रुपये 1275/- प्रतिमाह हो सकेगी, परन्तु शत-प्रतिशत अशक्तता न होने पर उसकी पेंशन उभो अनुपात में कम कर दी जायेगी।

सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनर—

6—सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर वर्तमान में महंगाई राहत अनुमन्य नहीं है। उनके मामलों में अतिरिक्त राहत की गणना हेतु प्रकरित महंगाई राहत की उस धनराशि को आधार माना जायेगा जो उन्हें उस दशा में अनुमन्य होती यदि वे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवायोजित/पुनर्योजित नहीं हुए होते और उसी के अनुसार उपरोक्त प्रस्तर-4 (1) के अन्तर्गत उनकी पेंशन का समेकन किया जाएगा। दिनांक 1-1-1996 से उनका वेतन उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित पेंशन के परिच्छेद में पुनर्निर्धारित किया जाएगा। दिनांक 1-1-1996 के उपरान्त होने वाली वृद्धि से सम्बन्धित महंगाई राहत भी उन्हें सेवायोजित/पुनर्योजित की अवधि में अनुमन्य नहीं होगी।

7—राज्य सरकार के ऐसे सेवकों के मामलों को, जिसमें राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी सेवकों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्थायी संविलियन ले लिया गया हो, निम्न प्रकार विनियमित किया जाएगा :—

(क) पेंशन—

उन स्थायी संविलियन के मामलों में जिनमें सम्बन्धित सरकारी सेवक राज्य सरकार से अपनी पेंशन पृथक से आहरित कर रहा हो उसकी पेंशन इन आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दी जायेगी। उन मामलों में जिनमें सम्बन्धित सरकारी सेवक के पेंशनरों का भुगतान एक-मुहत्त में, सम्बन्धित सरकारी सेवक/संस्था को कर दिया गया हो, इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

(ख) पारिवारिक पेंशन—

सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में संविलियन हुए जिन सरकारी सेवकों के संविलियन की शर्तों में पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की गयी है उनकी पारिवारिक पेंशन की धनराशि इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित कर दी जायेगी।

8—पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु समस्त पेंशन भुगतान अधिकारियों अर्थात् कोषाधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो पेंशन का भुगतान करते हैं एतद्वारा अधिकृत किया जाता है। इस श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु कोई पत्र/आदेश महालेखाकार अथवा अन्य पेंशन स्विकर्ता अधिकारी द्वारा भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण कोषाधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूचना के न्ये एक रेडी रेकनर रॉलपन (संतगक-एक) किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की वर्तमान पेंशन तथा समेकित पेंशन जो 1-1-1996 से देय है इंगित कर दी गयी है। यदि कोई पेंशनर एक से अधिक पेंशने प्राप्त कर रहा है तो उनका पुनरीक्षण उपरोक्त प्रस्तर-4 (1) एवं प्रस्तर-5 में निर्धारित सीमा के अधीन किया जायेगा। पेंशन भुगतान अधिकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रत्येक पेंशन भुगतान अधिकार पत्र (पी० पी० ०००) के दोनों अर्धभागों

(हॉक्स) पर पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि अंकित कर दी जायेगी। उपरोक्तानुसार आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सूचना पेंशन भुगतान अधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा महालेखाकार/वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ को भी जैसी स्थिति हो, प्रारूप-II (रॉलनक-दो) पर दी जायेगी जिससे वे उसकी सूचना पेंशन पेमेन्ट ऑडिट रजिस्टर में अंकित कर लें। पेंशन भुगतान अधिकारी/महालेखाकार/पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी को भेजी गयी उपरोक्त सूचना की प्राप्ति भी स्वीकार की जाए।

9.1—उपर्युक्त प्रस्तर-4 (1) में निहित प्रक्रिया के आधार पर समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 1-1-1996 से "मूल पेंशन" मानी जायेगी और इस पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर इसके उपरान्त स्वीकृत महंगाई राहत अनुमन्य होगी। महंगाई राहत की पात्रता हेतु पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को निम्नलिखित श्रेणी होगी :-

- (i) पेंशनर जो दिनांक 1-1-1986 से 31-12-1995 के मध्य सेवानिवृत्त हुये हैं,
- (ii) ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो दिनांक 1-1-1986 से 31-12-95 की अवधि में पारिवारिक पेंशन के हकदार हुये तथा जिन्हें मृत कर्मचारी द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के 30% की दर से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई।

10—इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि के समेकन के उपरान्त अनुमन्य धनराशि के अवशेष का भुगतान दिनांक 1-10-1997 से नकद किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 से 30-9-1997 की अवधि के अवशेष का भुगतान दो समान किशतों में होगा। प्रथम किशत का भुगतान दिनांक 31-3-1998 तक किया जायेगा तथा द्वितीय किशत का भुगतान 31-7-1998 तक किया जायेगा। किन्तु जिन प्रकरणों में दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु उपरोक्त प्रकार से अनुमन्य अवशेष धनराशि की प्राप्ति के पूर्व हो गई है, उनमें, स्वर्गीय कर्मचारी के पात्र उत्तराधिकारी को समस्त अवशेष का भुगतान एक मुश्त नकद किया जायेगा।

आज्ञा से,
आलोक रंजन,
सचिव, वित्त।

सेवा में,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयध्यक्ष, उ० प्र०।
 - (2) सनराज कोषाधिकारी, उ० प्र०।
 - (3) सनराज जिला अधिकारी, उ० प्र०,
- समान्य पेंशनरों के भुगतान की देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायें) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ)।
(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु) (5 प्रतियाँ)।

संख्या सा—3-1721(1)/दस—308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिवालय के समस्त अनुभाग। ✓ प्रत्येक को एक प्रति
- (2) सचिव, विधान सभा, परिषद्, विधान भवन, लखनऊ। प्रत्येक को 5 प्रतियाँ
- (3) निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण, संस्थान, 24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ। 5 प्रतियाँ
- (4) निदेशक पेंशन, उ० प्र० इंदिरा भवन, लखनऊ।
- (5) मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, बम्बई—400023। 60 "
- (6) सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ को प्रचारार्थ। 5 "
- (7) मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद। 5 "
- (8) मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उ० प्र०, इलाहाबाद। 5 "
- (9) वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ० प्र०, कानपुर। 5 "
- (10) उप भूमि व्यवस्था आयुक्ता (लेखा), राज्य परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ। 5 प्रतियाँ

विषय संख्या : 10

पृष्ठ संख्या : 83

विषय : भूखण्ड संख्या : २९ पार्क रोड पर स्थित प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि. द्वारा आवासीय क्षेत्र में प्रस्तुत कार्यालय सम्बन्धी भू-उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक, कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा भूखण्ड संख्या २९ पार्क रोड पर कार्यालय प्रयोग हेतु निर्माण करा लिया गया है तथा वर्तमान में कार्यालय चल रहा है जिसका मास्टर प्लान- २००१ के अनुसार भू-उपयोग : आर-२ (आवासीय) है। मास्टर प्लान २००१ के जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधान-२.१ के अनुसार आवासीय क्षेत्र में कार्यालय अनुमति दिये जाने पर विचार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा किया जा सकता है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त भूखण्ड पर उक्त विभाग का कार्यालय कई वर्षों से चल रहा है।

अतः मास्टर प्लान २००१ के प्राविधान के अन्तर्गत आवासीय भू-उपयोग में कार्यालय उपयोग की अनुमति भू-आच्छादन ४० प्रतिशत एफ.ए.आर. १०० के साथ प्रदान किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय: विभागीय कार्यहित में 3 एम्बेस्डर कार रिप्लेसमेंट के रूप में क्रय करने पर विचार।

आख्या:

प्राधिकरण में इन दिनों सचिव, मुख्य अभियन्ता, तथा अधीक्षण अभियन्ता-अर्जन को जो कार आवंटित है वह अच्छी स्थिति में नहीं है, जिससे कई बार विभागीय कार्यों के निस्तारण में कठिनाई होती है। इनमें से कुछ कारें इतनी पुरानी हैं कि प्रायः बीच में ही खड़ी हो जाती है एवं उसमें धक्का लगवाना पड़ता है। पिछले दिनों मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष लगे एक अवमानना के मुकदमे में तथा एक अन्य महत्वपूर्ण याचिका में सुनवाई के लिए जाते समय रास्ते में अधीक्षण अभियन्ता की कार खराब हो गयी थी एवं इस कारण से उन्हें मा0 न्यायालय में उपस्थित होने में विलम्ब हुआ था। यह भी उल्लेख करना है कि कई बार बाहर से वरिष्ठ अधिकारी/राजकीय अतिथि आते रहते हैं एवं उन्हें भी वाहन उपलब्ध कराना होता है। इस स्थिति में उपाध्यक्ष को अपना वाहन उपलब्ध कराना पड़ता है।

प्राधिकरण में कई गाड़ियां कंडम हो चुकी हैं। अतः रिप्लेसमेंट के मद में 03 एम्बेस्डर कार का क्रय किया जाना प्राधिकरण हित में तथा आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद रहेगा क्योंकि पुरानी कारों में पेट्रोल खपत एवं मरम्मत पर काफी व्यय करना पड़ता है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए रिप्लेसमेंट के आधार पर प्राधिकरण हित में तीन एम्बेस्डर कार क्रय करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय: गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में पर्यटन विभाग को पर्यटन भवन हेतु आवंटित भूमि के आंशिक भाग के भू-प्रयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" से "वाणिज्यिक खण्डीय विपणन केन्द्र" तथा सिविल सर्विसेज़ इन्स्टीट्यूट को आवंटित भूमि के भू-प्रयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" व "वाणिज्यिक खण्डीय विपणन केन्द्र" से आवासीय परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव: प्रसंगित विषय प्राधिकरण बोर्ड की विगत बैठक दिनांक: 22 जनवरी, 2000 में विषय संख्या: 13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिसमें विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सिविल सर्विसेज़ इन्स्टीट्यूट को आवंटित भूमि के भू-प्रयोग परिवर्तन की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाये। पर्यटन विभाग के प्रकरण में पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराये गये भूखण्ड में से जितना भू-भाग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" प्रयोग के अन्तर्गत है, उसका एफ0ए0आर0 निर्माण योग्य व्यवसायिक भू-भाग पर भारित करके अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग से वार्ता करके आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के क्रम में महानिदेशक पर्यटन की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग द्वारा बुलाई गई दिनांक: 15.2.2000 की बैठक में चर्चा के मध्य यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इस ^{विषय} पर असहमति व्यक्त की गई। महानिदेशक पर्यटन का कहना है कि पर्यटन विभाग को यह भूखण्ड व्यवसायिक/भू-प्रयोग हेतु आवंटित किया गया है व इसी के अनुसार भूखण्ड का भुगतान भी एलडीए को किया गया है अतः यदि कुछ भाग का भू-प्रयोग ग्रीन बेल्ट या पार्क है तो यह एलडीए का उत्तरदायित्व है कि इसका भू-प्रयोग परिवर्तित करे, इस प्रकार पर्यटन विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी असहमति प्रकट की गयी।

उल्लेखनीय है कि चूंकि प्रसंगित भाग पर भूतल के अतिरिक्त प्रथम तल एवं द्वितीय तल तक निर्माण किया जा चुका है, अतएव इन परिस्थितियों में बोर्ड के निर्णय का क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः प्रकरण पर अग्रिम निर्णय हेतु उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक: 02.5.2000 के क्रम में प्रकरण पुनः भू-प्रयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राधि0. बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

— Anurag
JE.

JE.

E.E. (मपन)

विषय: गोमती नगर के विजयन्त खण्ड में विंग कमाण्डर एच0के0 सिंह के भवन के समायोजन के सम्बन्ध में।

आख्या:

विंग कमाण्डर एच0के0 सिंह द्वारा मजदूर किसान सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 से भूखण्ड क्रय किया गया था, जो ग्राम कमता के अन्तर्गत निर्मित है। अवगत कराना है कि वर्ष 1984 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उजरिर्याव आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा धारा 4/17 व 6/17 एक ही दिन दिनांक 08.12.84 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके कारण समिति द्वारा भूमि को अर्जन से मुक्त करने हेतु एक रिट याचिका संख्या: 6080/85 मा0 उच्च न्यायालय में दायर की थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था। समय-समय पर श्री एच0के0 सिंह द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाते रहे कि इनकी भूमि का समायोजन कर लिया जाये। इसी आशय का एक प्रार्थना-पत्र श्री एच0के0 सिंह द्वारा मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया, जो प्राधिकरण को निदेशक, पी0एम0ओ0 द्वारा सन्दर्भित किया गया था (संलग्नक-1)। उक्त संदर्भ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.07.2000 को निदेशक, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली को विस्तृत आख्या के साथ यह अवगत कराया गया था कि प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गठित समायोजन समिति के समक्ष यह प्रकरण विचारार्थ रखा जा रहा है (संलग्नक-2)।

2. तदोपरान्त समायोजन समिति के समक्ष दिनांक 28.07.2000 को प्रश्नगत प्ररण पर विचार हुआ एवं निर्णय लिया गया कि चूंकि विंग कमाण्डर श्री सिंह द्वारा भूमि पर भवन का निर्माण कर लिया गया है, जिसको ले-आउट में सर्वे के आधार पर प्रदर्शित/समायोजित कर दिया गया है जिससे ले-आउट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस लिए भवन को ले-आउट में निम्न शर्तों के साथ समायोजित किया जा सकता है।

1. विंग कमाण्डर श्री एच0के0 सिंह द्वारा भूमि का प्रतिकर नहीं लिया जायेगा। इस आशय का एक शपथ पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा अपर जिलाधिकारी(भू0ओ0) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
2. विंग कमाण्डर श्री एच0के0 सिंह द्वारा भूमि का विकास शुल्क प्राधिकरण को देय होगा।
3. चूंकि विंग कमाण्डर श्री एच0के0 सिंह का भवन उसी भूमि पर निर्मित है जो उनके द्वारा समिति से क्रय की गई थी, इसलिये अनुबन्ध के आधार पर अधिकार तो दिया जा सकता है परन्तु यदि भू-स्वामित्व अधिकार चाहेंगे तो विक्रय पत्र निष्पादित करना होगा जिसका व्यय विंग कमाण्डर द्वारा किया जायेगा।
4. इस भवन हेतु 6.00 मी0 चौड़ा मार्ग प्राविधानित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे ले-आउट प्लान में प्रदर्शित किया जायेगा।
5. समायोजन समिति की संस्तुति संलग्न की जा रही है (संलग्नक-3)।

उपरोक्त शर्तों के आधार पर समायोजन का प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


विषय: गो0न0यो0 के विपुल खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या: 4/3 पर आरोपित शमन शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव: सुश्री वी0 के0 राधा द्वारा उक्त सन्दर्भित भूखण्ड का भवन मानचित्र सत्संग भवन (वर्ल्ड रिनिवल स्प्रिटुअल ट्रस्ट) निर्माण हेतु दिनांक: 09.3.99 को ज़ोन-2 में जमा किया गया था जिस पर कुछ आपत्तियाँ सूचित की गयीं, इस मध्य पक्ष द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया । तदुपरान्त सम्बन्धित ज़ोन द्वारा सूचित किया गया कि किया गया निर्माण शमन उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है ।


प्रस्तावित मानचित्र पर वर्तमान में प्रचलित शमन दरों के आधार पर गणना करने पर शमन शुल्क रू0 74,600/- आंकलित किया गया, जबकि पूर्व में मानचित्र जमा करते समय आंशिक सुधार व पक्ष की सहमति प्राप्त कर मानचित्र का निस्तारण किया जा सकता था। तत्समय कुल रू0 9,800/- पक्ष पर देय होता ।

पत्रावली के दाहिनी ओर संलग्न पक्ष के प्रार्थना-पत्र दिनांक:13.12.99 पर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु आदेशित किया गया था, पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत निर्माण 15 दिसम्बर,98 के बाद का है अतएव इसे स्वैच्छिक शमन योजना कं अन्तर्गत शमन नहीं किया जा सकता, परन्तु यदि मानचित्र का निस्तारण समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत किया जाता तो भूतल एवं प्रथम तल का भवन मानचित्र मलवा संचय शुल्क रू0 3820/-, सुपरवीज़न शुल्क रू0 1740/- व जल शुल्क रू0 600/- के साथ स्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। पक्ष द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त संस्था निःशुल्क रीति से जनमानस की सेवा में लगी है जहाँ पर ब्रह्माकुमारी बहनें समर्पित रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं अतएव इस भवन की निःशुल्क कम्पाउन्डिंग कर मानचित्र पास करने का कष्ट करें, उपाध्यक्ष महोदय के आदेश के क्रम में प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पक्ष का मानचित्र शमन शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्कों को जमा कराते हुए परमिट संख्या: 10809 द्वारा दिनांक: 03.3.2000 को निर्गत किया जा चुका है ।

अतः प्रसंगित प्रकरण शमन शुल्क की छूट हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।


JE.


AE.


E.E.

विषय: नजूल भूमि खसरा संख्या: 1,2,3,4,5,6,17,51,52 समस्त भाग स्थित मोहल्ला कर्वला आगामीर नरही (हिल्टन लेन आर0एफ0 बहादुर जी मार्ग) पर प्रस्तुत महायोजना 2001 में निर्धारित कार्यालय भू-उपयोग में समूह आवास मानचित्र के प्रकरण की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव:-


उपरोक्त नजूल फ्रीहोल्ड खसरा नम्बरों पर श्रीमती चन्द्रा दीक्षित द्वारा भू-आच्छादन 26.73% एफ0ए0आर0 147.7 के साथ समूह आवास सम्बन्धी मानचित्र स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूमि का भू-उपयोग महायोजना 2001 के अनुसार कार्यालय (जी-1) है। जिसमें आवासीय भवन की अनुमति मास्टर प्लान 2001 के पृष्ठ संख्या 16 के अनुसार सक्षम अधिकारी (प्राधिकरण बोर्ड) से भू-आच्छादन 30% तथा एफ00आर0 150 के साथ अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है। पक्ष की प्रस्तावना उपरोक्त प्राविधान के अर्न्तगत है।

अतः कृपया (जी-1) क्षेत्र में भू-आच्छादन 30% तथा एफ0ए0आर0 150 के साथ प्रश्नगत समूह आवास सम्बन्धी मानचित्र प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय मे० वैनैट कोलमैन एण्ड कं० लि० द्वारा गाद्य सं०४०७ क्षेत्र ७ बीघा ७ बिस्वा, उत्तरधौना परगना, तहसील जिला लखनऊ का प्रस्तुत भवन मानचित्र से सम्बन्धित भूमि के भू-प्रयोग परिवर्तन पर विचार,


मे० वैनैट कोलमैन एण्ड कं० लखनऊ को गाद्य सं०४०७ ग्राम उत्तरधौना परगना, तहसील जिला लखनऊ में ७ बीघा, ७ बिस्वा की भूमि पर प्रेस भवन के निर्माण की स्वीकृति हेतु दि०६.८.२००० को प्राधिकरण में एक मानचित्र स्वीकृति हेतु जमा किया गया है । सहयुक्त नियोजक, संभागीय नियोजन खण्ड नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग लखनऊ के पत्र सं०२६३८/भू-प्रयोग / ३०प्र०/लखनऊ म०यो०/९९-२००० दि०२८.८.२००० (अनुलग्नक-१) के अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-प्रयोग आंशिक रूप से ७६ मी० महायोजना मार्ग तथा शेष कृषि हेतु उर्ष्युक्त भू-प्रयोग के अर्न्तगत चूँकि प्रिंटिंग प्रेस के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकी थी, अतः मे० वैनैट कोलमैन एण्ड कं० लि० को इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा दि०१३.९.२००० को आपत्ति सूचित कर दी गई । मे० वैनैट कोलमैन एण्ड कं० लि० द्वारा अपने पत्र दि०२५.९.२००० (अनुलग्नक-२) के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि उक्त भूखण्ड ३०प्र० जमींदारी विनाश विनियमन अधिनियम की धारा १४३ के अर्न्तगत सक्षम अधिकारी द्वारा गैर कृषि कार्य हेतु घोषित कर दिया गया है तथा आस पास की भूमि गैर भूमि एवं व्यवसायिक उपयोग में पहले से ही किया जा रहा है इसके अतिरिक्त लखनऊ महायोजना-२००१ में इस प्रकृति की इण्डस्ट्रीज के लिये उचित स्थान नहीं दर्शाया गया है, अतः प्रश्नगत भू-स्थल पर प्रेस परिसर बनाने की अनुमति प्रदान की जायें । उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि चूँकि प्रश्नगत भूमि नगर निगम की सीमा के बाहर है, अतः इतना बड़ा प्रेस लगाने से द्राफिक की समस्या भी नहीं होगी तथा प्रेस में अत्याधुनिक आई०टी० उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा, अतः यह प्रदूषण रहित होगा । उनके द्वारा प्रेस परिसर में पर्याप्त ओपेन स्पेस का प्राविधान रखने का भी निष्कर्ष किया गया है । प्रश्नगत परिसर में उनके द्वारा एफ०एम०वैण्ड रेडियो स्टेशन हेतु टावर स्टेशन बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है । मे० वैनैट कोलमैन एण्ड कं० लि० द्वारा भू-प्रयोग परिवर्तन हेतु दिये जाने वाले शुल्क को जमा करने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की गई है तथा इस सम्बन्ध में अन्डरटेकिंग भी दी गई है । स्थल के आस पास हुए विकास के सम्बन्ध में मे० वैनैट कोलमैन एण्ड कं० लि० द्वारा प्रस्तुत स्कैच प्लान अनुलग्नक-३ पर अल्लोकनार्थ अवस्थित है ।

उर्ष्युक्त परिपेक्ष्य में प्रश्नगत गाद्य सं०४०७ क्षेत्रफल ७ बीघा ७ बिस्वा ग्राम उत्तरधौना परगना तहसील जिला लखनऊ की केवल कृषि भू-प्रयोग के अर्न्तगत आने वाली भूमि



के उपयोग को औद्योगिक (प्रिंटिंग प्रेस) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

प्राधिकरण की सहमति की दृष्टि में मै० वेंनेट कोलमैन एण्ड कं० लि० से शसनादेशानुसार भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क लेय होगा ।



BENNETT, COLEMAN & CO., LTD.

(Regd. Office: Dr. Dadarha Naidu Road, Mumbai-400 001)
Times House, 16, Rana Pratap Marg, Lucknow-226 001

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

दि 25.9.2000

विषय: मेसर्स बेंनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि० (प्रकारक दि टाइम्स आर इंडिया) के मानचित्र के एप्रूवल के संबंध में

सहोदय,

मेसर्स बेंनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि० लखनऊ जनपद में उत्तर भारत का एक अति आधुनिक प्रेस लगाना चाहती है जिसके लिए कम्पनी ने ग्राम उत्तर धौना परगना तहसील ब जिला लखनऊ में प्लॉट सं० 407 खूब बड़े प्रेस के विस्तार कर किया हुआ है ।

- यह कि उक्त प्लॉट सं० 407 को 3030 वर्गमीटर विस्तार एवं विभिन्न अर्थोपयोग की धारा 143 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू-कृषि कार्य हेतु घोषित कर दिया गया है तथा आसपास की भूमि गैर कृषि एवं व्यावसायिक उपयोग में पहले से ही लायी जा रही है।
- यह कि लखनऊ नगर निगम की सीमा में इस तरह का बड़ा प्लॉट सामान्य नहीं था और न ही लखनऊ के मास्टर प्लान 2001 में इस तरह के नार्डन इंडस्ट्री के लिए उचित स्थान दर्शाया गया है ।
- यह कि लखनऊ नगर निगम की सीमा में इस तरह के बड़े प्रेस को स्थापित करने से ट्राफिक की समस्या भी होगी ।
- यह कि इस तरह का प्रिंटिंग प्रेस जिसमें आधुनिक अर्द्ध-ऑटो इन्कमों का प्रयोग किया जाएगा वह बिल्कुल प्रदूषण रहित होगा ।
- यह कि प्रस्तावित प्रेस परिसर में पर्याप्त ओपन स्पेस रखने की व्यवस्था है ।
- यह कि पूर्व राज्य सरकारों द्वारा ऐसा मोबा नहीं गया कि अने बड़े स्तर में अर्द्ध-ऑटो का बोलबाला होगा और जबकि 3030 में इस तरह की परियोजना लाने की बात ही रही है तब लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कम्पनी के प्रस्तावित प्रेस एवं ऑफिस हेतु भवन बनाने की अनुमति अभी तक नहीं दी गयी है ।
- यह कि उक्त प्लॉट सं० 407 ग्राम उत्तर धौना परगना, तहसील ब जिला लखनऊ में बेंनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि० द्वारा खोले जाने वाले एफ०एम० बैंड रेडियो स्टेशन हेतु टावर बनाना भी प्रस्तावित है तथा इसके लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हो गयी है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक अनुमति न मिलने के कारण इसमें विलम्ब होने की आशंका है ।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त भूखल पर प्रेस परिसर बनाने की अनुमति देने की कृपा करें ।

Handwritten signature and notes:
श्री/सहोदय/प्र
कृते बेंनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी
मुख्य प्रबंधक

कृते बेंनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी

Handwritten signature
एच०एम० चक्रवर्ती
मुख्य प्रबंधक


157E
FAIZABAD ROAD SHOWING THE EXISTING
COMMERCIAL ACTIVITIES NEAR THE PROPOSED
SITE OF THE "TIMES OF INDIA"

THE
TIMES OF INDIA

SCALE 1:20000

Widya Spun Pipe
Panna Suroop Engg
& Management Institute

Architect
Sudhakar
B. Patil, AIA
CNS/17287



लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १९ जनवरी २००१
का कायेवृत्त

उपस्थित :

१.	श्री सौरभ चन्द्र	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
२.	श्री दिवाकर त्रिपाठी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
३.	श्री संजय अग्रवाल	जिलाधिकारी, लखनऊ ।
४.	श्री संजय भूसरेड्डी	विशेष सचिव-आवास, उ.प्र. शासन ।
५.	श्री पी.एन. बाथम	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ ।
६.	श्री राम अधार सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
७.	डा० सिया राम	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
८.	श्री एस.एस. दलाल	नगर नियोजक, प्रातिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
९.	श्रीमती रीता विशाल	संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ ।
१०.	श्री प्रभात चन्द्र जैन	मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), उ.प्र. जल निगम, लखनऊ ।
११.	सुश्री प्रीति श्रीवास्तव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ ।

अन्य उपस्थित :

१.	कु० रेखा गुप्ता	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
२.	श्री भूपेन्द्र सिंह	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
३.	श्री आर. पी. शुक्ला	मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा, लखनऊ ।
४.	श्री रवि श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता (विद्युत यंत्रिक), लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
५.	श्री मनमोहन	मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा, लखनऊ
६.	श्री अमरेश सिंह	मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा० ।

- विषय संख्या: १ लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: २७ मई २००० एवं १६.०८.२००० के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।
- निर्णय: प्राधिकरण की बैठक दिनांक: २७.०५.२००० एवं १६.०८.२००० के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
- विषय संख्या: २ लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: २७.०५.२००० एवं १६.०८.२००० में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।
- निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: २७.०५.२००० एवं १६.०८.२००० में लिये गये निर्णयों की प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-
- (१) शहर में बनने वाले समस्त भवनों का निरीक्षण रेगिस्टर में ईंगत अधिकारी द्वारा मासिक किया जाये इसकी मासिक समीक्षा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जाये । यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृति भवन मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण किया जाये । चूंकि प्राधिकरण द्वारा पर्यवेक्षण शुल्क लिया जाता है । अतः पूर्व में परित तत्र भविष्य में परित हेने वाले प्रत्येक नकशे में पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम ईंगत किया जाये ताकि अवैध निर्माण हेने की दशा में उसे उत्तरदायी ठहराया जा सके ।
 - (२) तीन माह से अधिक समय तक ध्वस्तीकरण आदेश पर कार्यवाही न पूर्ण होने वाले प्रकरणों की सूची सम्बन्धित उत्तरदायी अधिशासी अभियन्ता के नाम सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।
 - (३) गत बैठकों में लिए गए समस्त निर्णय जिन पर अनुपालन की कार्यवाही अपूर्ण है पर स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक से प्रस्तुत की जायेगी
- विषय संख्या: ३ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या ।
- निर्णय: प्रस्तुत की गई प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया । प्राधिकरण द्वारा किये गये मुख्य कार्यों के संक्षिप्त विवरण उपाध्यक्ष द्वारा समस्त सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया । आय तथा व्यय में प्रगति लक्ष्य की अपेक्षा कम है। निर्देश दिये गये कि मूल आय-व्ययक में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति तत्परता से की जाये । भविष्य में मूल आय-व्ययक के विरुद्ध उपलब्धि दर्शायी जाये ।

- विषय संख्या: ४ आदर्श भवन निर्माण उपाधि १९९९ के आवश्यक परिष्कार के अंगीकरण के सम्बन्ध में ।
निर्णय अंगीकृत किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई ।
- विषय संख्या: ५ प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के फलस्वरूप बढ़ने वाले प्रतिकर की धनराशि योजनाओं के पुराने आवंटियों से वसूलने तथा भविष्य में भूमि के मूल्य का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में ।
निर्णय प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त एक उपसमिति गठित की गई जो प्रकरण पर विचार-विमर्श कर अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी । उपसमिति के सदस्य निम्नवत् होंगे : -
(१) जिलाधिकारी, लखनऊ श्री संजय अग्रवाल ।
(२) विशेष सचिव-आवास श्री संजय भूसरेड्डी ।
(३) डा० सिया राम, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
(४) कु० रेखा गुप्ता, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
- विषय संख्या: ६ व्यवसायिक/सिनेमा हाल/कम्युनिटी सेन्टर/बारात घर/गेस्ट हाउस हेतु भूमि/भूखण्ड के आवंटन की नियम एवं शर्तें ।
निर्णय प्रस्तावित शर्तों पर अनुमोदन प्रदान किया गया । परन्तु यह निर्देश दिये गये कि यदि कोई क्रेता दो वर्ष से पूर्व पूर्ण भुगतान करने का इच्छुक है तो उसे प्राथमिकता दी जाये ।
- विषय संख्या: ७ गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में लखनऊ हास्पिटल प्रा.लि. एवं स्कार्ट हास्पिटल को शासन द्वारा आवंटित २.५ एकड़ एवं ४ एकड़ भूमि का भू-प्रयोजन परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
निर्णय लखनऊ हास्पिटल प्रा.लि. एवं स्कार्ट हास्पिटल को आवंटित कुल ६.५ एकड़ भूमि का भू-प्रयोजन "इन्द्रागांधी प्रतिष्ठान" से "अस्पताल" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की संस्तुति स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर दी जाये । यह भूमि इन्द्रा गांधी प्रतिष्ठान को आवंटित भूमि से शासन के आदेशों के तहत दी जा रही है । इसके स्थान पर इन्द्रा गांधी प्रतिष्ठान के लिये प्राधिकरण की भूमि दिए जाने के शासन के आदेश को नोट किया गया । विशेष सचिव, आवास ने अवगत करवाया कि इसका मूल्य शासन द्वारा निर्धारित कर दिया गया है । उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० इस धनराशि को शीघ्र प्राप्त करें ।

- विषय संख्या: ८ मनोरंजन भू-प्रयोग के अन्तर्गत विभिन्न खेल एकाडमीज को भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में भू-अच्छान एवं एफ.ए.आर. का निर्धारण ।
- निर्णय: मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से प्राप्त खेल एकाडमीज के लिये एफ.ए.आर. एवं भू-अच्छादन विषयक प्रस्ताव पर शासन को संस्तुति भेजे जाने के प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निर्देश दिये गये कि प्रकरण को पुनर्परीक्षण हेतु नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग को सन्दर्भित कर दिया जाये । यह भी निर्देश दिये गये कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ.प्र. द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का परीक्षण कर लिया जाये :-
- (१) दी जाने वाली भूमि का उपयोग खेल प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसायिक प्रयोजन हेतु न होने पड़े ।
 - (२) पार्क ऐक्ट एवं खुले स्थल हेतु शासनादेश के प्राविधानों का उल्लंघन न हो रहा हो ।
 - (३) मुख्य सचिव द्वारा आहूत बैठकों में लिए गये निर्णय ।
- उपरोक्त बिन्दुओं का समाधान हो जाने के उपरान्त उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अपने स्तर से प्रकरण में निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया ।
- विषय संख्या: ९ दिनांक: ०१.०१.९६ से पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों को शासनादेश संख्या: सा-१७२/दस-३०८/९७ दिनांक: २३.१२.९७ के अनुसार पुनरीक्षित दर पर पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय: निर्णय लिया गया कि अन्य प्राधिकरणों से स्थिति ज्ञात कर आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।
- विषय संख्या: १० भूखण्ड संख्या: २९ पार्क रोड पर स्थित प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन लि० द्वारा आवासीय क्षेत्र में प्रस्तुत कार्यालय सम्बन्धी भू-उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।
- निर्णय: प्रस्तावा पर विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग उ.प्र. से करा लिया जाये । तदुपरान्त प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।
- विषय संख्या: ११ विभागीय कार्योहंत में ०३ एम्बेस्टर कार रिप्लेशमेन्ट के रूप में क्रय करने पर विचार ।
- निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को स्वीकृति हेतु संदर्भित किया जाय ।
- विषय संख्या: १२ गोमती नगर विपिन खण्ड में पर्यटन विभाग को पर्यटन भवन हेतु आवंटित भूमि के आंशिक भाग के भू-प्रयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" से "वाणिज्यिक विपणन केन्द्र" तथा सिविल सार्वसेज इन्स्टीट्यूट को आवंटित भूमि के भू-प्रयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" व "वाणिज्यिक खण्डीय विपणन केन्द्र" से आवासीय में

- परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
- विषय संख्या: १३
निर्णय: विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि भवन मानचित्र एवं निर्माण का पुनःपरीक्षण किया जाये । हरित क्षेत्र में वास्तविक निर्माण को तत्काल रोका जाये ।
- विषय संख्या: १३
निर्णय: गोमती नगर योजना विजयन्त खण्ड में विंग कमाण्डर एच.के.सिंह के भवन के समायोजन के सम्बन्ध में ।
- विषय संख्या: १४
निर्णय: निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को एक साथ समायोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । तदुपरान्त समिति की संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये ।
- विषय संख्या: १४
निर्णय: गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में स्थित भूखण्ड संख्या: ४/३ पर आरोपित शमन शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- विषय संख्या: १५
निर्णय: प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्देश दिए गए कि इस प्रकार के पूरे दृष्टांतों को भी देख लिया जाए तथा नियमों का अध्ययन कर यह भी जानकारी कर ली जाये कि शमन शुल्क से छूट दिए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है । तदुपरान्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।
- विषय संख्या: १५
निर्णय: नजूल भूमि खसरा संख्या: १, २, ४, ५, ६, १७, ५१, ५२ समस्त भाग स्थित मोहल्ला कर्बला आगामीर नरही (हिल्टन लेन आर.एफ. बहादुरजी मार्ग) पर प्रस्तुत महायोजना २००१ निर्धारित कार्यालय भू-उपयोग में समूह आवास मानचित्र के प्रकरण की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।
- विषय संख्या: १६
निर्णय: निर्णय लिया गया कि पूर्व एवं वर्तमान भवन निर्माण उपाधि के आधार भूत सुविधाओं की उपलब्धता आदि के दृष्टिगत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करके प्रस्तुत किया जाये । इस प्रस्ताव से प्राधिकरण को होने वाले लाभ-हानि की भी गणना की जाये ।
- विषय संख्या: १६
निर्णय: मेसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कं. लि. द्वारा गाय संख्या: ४०७ क्षेत्रफल ७ बांघा ७ बिस्वा उतरधौना परगना, तहसील एवं जिला लखनऊ का प्रस्तुत भवन मानचित्र से सम्बन्धित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन पर विचार ।
- विषय संख्या: १६
निर्णय: प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि भू-उपयोग "कृषि" से औद्योगिकी (प्रिन्टिंग प्रेस) किया जाने हेतु प्राधिकरण की संस्तुति शासन को प्रेषित की जाये ।

अनु०वि०सं० २
निर्णय

गाँधी सेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण ।
प्रस्तुत किए गए विवरण का अवलोकन किया गया तथा फरवरी ०१, २००१ से टोल टैक्स शासनादेशों के अनुरूप रू० २५/= प्रति भारी व्यवसायिक वाहन एवं रू० १०/= प्रति हल्के व्यवसायिक वाहन से वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की गई । जन यातायात वाहनों को इससे छूट देने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाये ।

अनु०वि०सं० ३

निर्णय

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के सम्बन्ध में ।
विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्देश दिये गये कि इस परियोजना का एग्जल एच.डी.एफ.सी. या हुडको से कराने के उपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

अनु०वि०सं० ४

निर्णय

कानपुर रोड योजना भाग-४ के अन्तर्गत ग्राम-भदरुख (बंगला बाजार) की अधिग्रहीत भूमि पर किये गए अनाधिकृत निमाण से प्रभावित भूमि के समायोजन/आवंटन के सम्बन्ध में ।
विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई । भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्राधिकरण की संस्तुति शासन को भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई । यह भी निर्देश दिये गये कि विज्ञप्ति प्रकाशित करके समस्त लाभार्थियों को सूचना दे दी जाये कि जो व्यक्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के एक माह के अन्दर २० प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करते हैं उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा । यह भी निर्देश दिये गये कि इस परियोजना की अर्थ-विवेचना तैयार कराकर विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

अनु०वि०सं० ६

निर्णय

स्वेच्छक शमन योजना ९८ के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में ।
विचारोपरान्त प्रस्ताव अगली बैठक हेतु स्थगित किया गया ।

अनु०वि०सं० २१

निर्णय

मोजा-भदेवां एशवाग रोड स्थित नजूल भूमि खसरा संख्या २२१ लगायत २४६ क्षेत्रफल बीघा ४१-२-१५-० अर्थात् १,०४,०८६.२८२ वर्गमीटर के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव ।
प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति हेतु शासन को प्राधिकरण की संस्तुति प्रेषित कर दी जाये ।

अनु०वि०सं० २२

(कोनेश्वर चौगहे से तहसोन गंज चौगहे तक) सड़क मुख्य मार्ग के दोनों ओर खसरा संख्या १३१ से १९० तक तथा खसरा संख्या २१५, २१६, २१७, २१९, ३००, ३०३, ३०४, ३१९, ३२०, ४०९, ४७१ से ४७६, ४८७, ४८८, ४९२ व ४९३ क्षेत्रफल बीघा २-१४-३-८ अर्थात् ८३७९३.०८ वर्गफुट के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति हेतु शासन को प्राधिकरण की संस्तुति प्रेषित कर दी जाये ।

अन्य बिन्दु: १

बैठक के मध्य महायोजना २०२१ की प्रगति समीक्षा की गई । महायोजना तैयार करने वाली एजेन्सी के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हुए और अब तक किये गये कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया । कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गई । तीव्रगतिसे कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिये गये । मुख्य नगर नियोजक लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि को भी यह निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित एजेन्सी को मासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें । मुख्य नगर नियोजक एजेन्सी के प्रतिनिधियों की एक बैठक श्री संजय भूसरेड्डी, विशेष सचिव-आवास के स्तर पर फरवरी के प्रथम सप्ताह में आहूत करायेंगे । प्रत्येक वार्ड बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये । प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह की १० तारीख को अध्यक्ष द्वारा की जायेगी ।

अन्य बिन्दु : ०२

- बैठक के प्रारम्भ में प्राधिकरण के सदस्य श्री राम अधर सिंह व्द्वारा रैदस मन्दिर के पास निर्माण किये जा रहे उपरिगामी सेतु की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण व्द्वारा परियोजना के समबन्ध में अवगत कराया गया।

अन्य बिन्दु : ०३

समयाभाव के कारण अनुपूरक विषय संख्या : ५ एवं अनुपूरक विषय संख्या : ७ से २० तक तथा अनु.वि.स : २३ स्थगित किये गये तथा स्थगित किये गये विषयों एवं अन्य महत्वपूर्ण/आवश्यक विषयों पर विचारार्थ आगामी बैठक दिनांक १२ फरवरी, २००१ को १०.३० बजे प्राधिकरण नवोन भवन, गोमती नगर स्थित समिति कक्ष में आहूत किये जाने के निर्देश दिये गये।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।


ह०/
(कु० रेखा गुप्ता)

ह०/
(दिवाकर त्रिपाठी)

अनुमोदित,

ह०/
(सौरभ चन्द्र)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

प्रमाणित,


(कु० रेखा गुप्ता)
सचिव